XII वर्ष 2022-23 के लिए रिज़र्व बैंक का लेखा

31 मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए रिज़र्व बैंक के तुलन-पत्र का आकार 2.50 प्रतिशत से बढ़ा है। इस वर्ष आय में 47.06 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि व्यय में 14.05 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष की समाप्ति पर कुल अधिशेष 87,416.22 करोड़ रुपये था, जो पिछले वर्ष 30,307.45 करोड़ रुपये था, जिसके परिणामस्वरूप इसमें 188.43 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

XII.1 देश की अर्थव्यवस्था में रिज़र्व बैंक का तुलन-पत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। इससे सामान्यतया उन गतिविधियों की झलक मिलती है जिन्हें मुद्रा निर्गम कार्य के साथ-साथ मौद्रिक नीति तथा आरक्षित निधि के प्रबंधन उद्देश्यों के अनुसरण में किया जाता है।

XII.2 वर्ष 2022-23 के दौरान, रिज़र्व बैंक के परिचालनों के मुख्य वित्तीय परिणाम निम्नलिखित पैराग्राफों में प्रस्तुत किए गए हैं।

XII.3 तुलन-पत्र के आकार में 1,54,453.97 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, अर्थात इसका आकार 31 मार्च 2022 के 61,90,302.27 करोड़ रुपये से यानी, 2.50 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2022 को 63,44,756.24 करोड़ रुपये हो गया। विदेशी निवेश, स्वर्ण, और ऋण तथा अग्रिम में क्रमश: 2.31 प्रतिशत, 15.30 प्रतिशत और 38.33 प्रतिशत की वृद्धि के कारण आस्ति पक्ष में वृद्धि हुई। देयता पक्ष में जारी किए गए नोटों, पुनर्मूल्यन खातों और अन्य देनदारियों में क्रमश: 7.81 प्रतिशत, 20.50 प्रतिशत और 79.07 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 31 मार्च 2023 तक कुल आस्तियों में घरेलू आस्तियों की हिस्सेदारी 27.69 प्रतिशत थी, जबकि विदेशी मुद्रा आस्तियों और स्वर्ण (जमा स्वर्ण और भारत में रखा स्वर्ण मिलाकर) का हिस्सा 72.31 प्रतिशत था, जो 31 मार्च 2022 को क्रमशः 28.22 प्रतिशत और 71.78 प्रतिशत था।

XII.4 1,30,875.75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया और उसे आकस्मिकता निधि (सीएफ) में अंतरित किया गया। आस्ति विकास निधि (एडीएफ) के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। आय, व्यय, निवल आय और केन्द्र सरकार को अंतरित अधिशेष के संबंध में प्रवृत्ति विवरण सारणी XII.1 में दिया गया है।

XII.5 वर्ष 2022-23 के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, तुलन-पत्र और आय विवरण अनुसूचियों, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों संबंधी विवरण और लेखा संबंधी समर्थक टिप्पणियों सहित नीचे प्रस्तुत है:

सारणी XII.1 : आय, व्यय और निवल आय की प्रवृत्ति

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	2	3	4	5	6
ए) आय	1,93,035.88	1,49,672.46	1,33,272.75	1,60,112.13	2,35,457.26
बी) कुल व्यय[1]	17,044.15[2]	92,540.93[3]	34,146.75[4]	1,29,800.68[5]	1,48,037.04[6]
सी) निवल आय (ए-बी)	1,75,991.73	57,131.53	99,126.00	30,311.45	87,420.22
डी) निधियों को अंतरण[7]	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
ई) केंद्र सरकार को अंतरित अधिशेष (सी-डी)	1,75,987.73	57,127.53	99,122.00	30,307.45	87,416.22

टिप्पणी : 1. इसमें सीएफ और एडीएफ के लिए किया गया प्रावधान शामिल है।
2. इसमें एडीएफ़ में अंतरण के लिए ₹ 63.60 करोड़ का प्रावधान शामिल है।
3. इसमें सीएफ में अंतरण के लिए ₹73,615 करोड़ का प्रावधान शामिल है।
4. इसमें सीएफ में अंतरण के लिए ₹20,710.12 करोड़ का प्रावधान शामिल है।
5. इसमें सीएफ और एडीएफ में अंतरण के लिए क्रमशः ₹1,14,567.01 करोड़ और ₹100 करोड़ का प्रावधान शामिल है।
6. इसमें सीएफ में अंतरण के लिए ₹1,30,875.75 करोड़ का प्रावधान शामिल है।
7. पांच वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष में हरेक को ₹1 करोड़ की राशि राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि, राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि और राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि, में अंतरित की गई।

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवार्थ
भारत के राष्ट्रपति

भारतीय रिज़र्व बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

दृष्टिकोण

हम, भारतीय रिज़र्व बैंक (जिसे आगे "बैंक" कहा गया है) के अधोहस्ताक्षरी लेखा परीक्षक, इसके द्वारा केंद्र सरकार को, 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार, बैंक के तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय विवरण (इसके बाद "वित्तीय विवरण" कहा गया है), जो कि हमारे द्वारा लेखा-परीक्षित है, पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और बैंक की लेखा-बहियों में दर्ज, अनुसूचियों और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के साथ पठित यह तुलन-पत्र पूर्ण और निष्पक्ष है, जिसमें 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार एवं उस तारीख को समाप्त वर्ष में इसके परिचालनों के परिणाम के सभी आवश्यक विवरण शामिल हैं तथा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 ("आरबीआई अधिनियम, 1934") के सभी आवश्यक प्रावधानों एवं उसके तहत बनाए गए विनियमों के अनुसार सही तरीके से बनाया गया है ताकि इससे बैंक के कार्यकलापों की सच्ची और वास्तविक स्थिति प्रदर्शित की जा सके।

दृष्टिकोण का आधार

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों ("एसए") के अनुसार हमने यह लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारे दायित्वों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण खंड में उल्लिखित लेखा परीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के दायित्व विषय के तहत विस्तृत रूप में दिया गया है। लेखापरीक्षा की नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार हम बैंक निरपेक्ष हैं, जो हमारे द्वारा की गई वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु प्रासंगिक हैं तथा हमने इन अपेक्षाओं के अनुसरण में अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को भी निभाया है। हमें विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारे दृष्टिकोण के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरण और उसके साथ संलग्न लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

अन्य सूचनाओं की ज़िम्मेदारी बैंक प्रबंधन की है। अन्य सूचनाओं में लेखांकन की टिप्पणियों को शामिल किया गया है, परंतु इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारियों को शामिल नहीं करती है और हम किसी भी रूप में किसी निष्कर्ष का आश्वासन नहीं देते हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यही है कि हम अन्य जानकारी को पढ़ें और इस प्रक्रिया में यह देखें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों अथवा लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारी सूचनाओं के साथ तात्विक रूप से असंगत है अथवा अन्यथा तात्विक रूप से गलत उल्लिखित प्रतीत होती हैं। हमने जो कार्य किया है, उसके आधार पर यदि हमारा निष्कर्ष है कि यह अन्य जानकारी जानकारी तात्विक रूप से गलत उल्लिखित है, तो उस तथ्य को यहाँ रिपोर्ट करना हमारे लिए आवश्यक है।

इस संबंध में रिपोर्ट करने लायक कुछ भी हमें नहीं मिला है

प्रबंधन के दायित्व एवं वित्तीय विवरणों का अभिशासन करने वालों के दायित्व

बैंक के प्रबंध-तंत्र तथा इन विवरणों का अभिशासन करने वालों का यह उत्तरदायित्व है कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों की अपेक्षाओं तथा उसके अंतर्गत बनायी गयी विनियमावली और बैंक द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों और प्रथाओं के अनुसार बैंक के कार्यों की और बैंक के कार्य परिणामों की सच्ची और सही स्थिति प्रस्तुत करने वाले वित्तीय विवरण तैयार करें। इस जिम्मेदारी में निम्नलिखित भी शामिल हैं: पर्याप्त लेखापरीक्षा अभिलेखों का रखरखाव और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकना और उनका पता लगाना; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और प्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों और ऐसे वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुतीकरण के लिए आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव जो सच्चा व सही दृष्टिकोण दें और ठोस गलतबयानी से मुक्त हों, चाहे वह धोखाधड़ी के इरादे से या त्रुटि के कारण हो।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार, बैंक का परिसमापन केंद्र सरकार द्वारा आदेश से और किसी निदेशित किसी अन्य तरीके से किया जा सकता है। इसके अलावा, बैंक के वित्तीय विवरण तैयार करने का मौलिक आधार जहां आरबीआई अधिनियम, 1934 और उसके तहत बनाए गए विनियमों के प्रावधानों पर आधारित है, वहीं प्रबंधन ने लेखांकन नीतियों और प्रथाओं को अपनाया है जो एक कार्यशील संस्था के रूप में इसकी निरंतरता को दर्शाता है।

बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख की ज़िम्मेदारी भी उनकी है, जिन्हें इसके अभिशासन का प्रभार दिया गया है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षक के दायित्व

इस बारे में हमारा उद्देश्य यथेष्ट रूप से इस संबंध में आश्वस्त होना है कि वित्तीय विवरण पूरी तरह से किसी प्रकार की गलतबयानी, चाहे वह धोखाधड़ी से अथवा त्रुटिवश हुई हो, से मुक्त है तथा अपने अभिमत के साथ लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है। यथेष्ट आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, किन्तु यह इस बात

की गारंटी नहीं है कि लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा में हमेशा तात्विक गलतबयानी, यदि यह मौजूद हो, का पता चल ही जाएगा। गलतबयानी किसी प्रकार की धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है, और उसे तात्विक माना जाता है यदि इससे अलग-अलग अथवा समग्र रूप से, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को यथोचित रूप से प्रभावित करने की संभावना हो।

इस लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में, लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार, हम पेशेवर रुख अपनाते हैं और पूरी लेखापरीक्षा में पेशेवर संशय को बनाए रखते हैं। इसके अलावा हम :

- वित्तीय विवरणों के संबंध में तात्विक गलतबयानी, भले ही वह धोखाधड़ी के इरादे से अथवा त्रुटिवश हुई हो, से उत्पन्न होने वाले जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करते हैं, इन जोखिमों के लिए अनुक्रियाशील लेखापरीक्षा प्रक्रिया बनाते और निष्पादित करते हैं और अपने अभिमत के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और यथेष्ट लेखापरीक्षा साक्ष्य जुटाते हैं। धोखाधड़ी से उत्पन्न तात्विक गलतबयानी का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटिवश हुई गलतबयानी से उत्पन्न जोखिम से कहीं बड़ा है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन चूक, मिथ्या प्रस्तुति अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।
- लेखापरीक्षा के लिए संगत आंतरिक नियंत्रण को समझते हैं ताकि परिस्थितियों के अनुसार उचित लेखापरीक्षा पद्धति तैयार की जा सके। लेकिन इसका प्रयोग बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रभावशीलता के बारे में अभिमत व्यक्त करने के प्रयोजन से नहीं किया जाता।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों के औचित्य और लेखांकन अनुमानों की यथेष्टता तथा प्रबंध-तंत्र द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करते हैं।
- प्रबंधन द्वारा अपनाए गए लेखांकन के आधार की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालते हैं और यह देखते हैं कि क्या लेखांकन नीतियां और जानकारी इसे कार्यशील संस्था के रूप में दर्शाती है और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या लेखांकन के आधार के उपयोग से संबंधित कोई ठोस अनिश्चितता मौजूद है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ठोस अनिश्चितता मौजूद है, तो हमसे अपेक्षित है कि हम वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों के बारे में अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इस तरफ ध्यान आकर्षित करें, अथवा ऐसे प्रकटीकरणों के अपर्याप्त होने पर हम अपने अभिमत में संशोधन करें। हमारे निष्कर्ष उन लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित होते हैं जो लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए हों।

हम अभिशासन का प्रभार संभालने वालों के साथ विचार-विमर्श करते हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे, समय और लेखा-परीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों के बारे में चर्चा की जाती है, जिसमें आंतरिक नियंत्रण की वे महत्वपूर्ण कमियां भी शामिल होती हैं, जिनकी पहचान हम लेखापरीक्षा के दौरान करते हैं।

हम अभिशासन का प्रभार संभालने वालों को एक वक्तव्य भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं, और उन सभी संबंधों और उन अन्य मामलों को सूचित करने के लिए, जो हमारी स्वतंत्रता पर यथोचित प्रभाव डालते हों, एवं जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों का पालन किया है।

अन्य मामले

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा संयुक्त रूप से मेसर्स चंदाभॉय एंड जासूभॉय तथा मेसर्स जी. एम. कपाडिया एंड कंपनी, एलएलपी, सनदी लेखाकारों ने अपनी अपरिवर्तित लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांकित 20 मई 2022 के जरिए संपन्न की और रिपोर्ट की, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रबंध-तंत्र द्वारा प्रदान की गई और वित्तीय सूचना की लेखापरीक्षा के अपने कार्य के उद्देश्य हेतु जिस पर हमने भरोसा किया है। इस मामले में हमारी राय बदली नहीं है।

हम सूचित करते हैं कि लेखापरीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक समझी गई जो भी जानकारी और स्पष्टीकरण रिज़र्व बैंक से हमने माँगा, उस समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण से हम संतुष्ट हैं।

हम यह भी सूचित करते हैं कि इस वित्तीय विवरण में रिज़र्व बैंक की पच्चीस लेखांकन इकाइयों का लेखा–जोखा शामिल है, जिनकी लेखापरीक्षा सांविधिक शाखा-लेखापरीक्षकों द्वारा की गयी है और इस बारे में हमने उनकी रिपोर्ट पर भरोसा किया है।

कृते चंदाभॉय और जासुभॉय
सनदी लेखाकार
(आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या 101647डब्ल्यू)

कृते फोर्ड रोड्स पार्क्स एंड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या 102860डब्ल्यू / डब्ल्यू 100089)

अम्बेश दवे
भागीदार
सदस्यता संख्या 049289
यूडीआईएन:23049289BGXCNV8282

श्रीकांत बी प्रभु
भागीदार
सदस्यता संख्या 035296
यूडीआईएन:23035296BGQMNU2230

स्थान: मुंबई
दिनांक : 19 मई 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक
31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

(राशि ₹ करोड़ में)

देयताएं	अनुसूची	2021-22	2022-23	आस्तियां	अनुसूची	2021-22	2022-23
पूंजी		5.00	5.00	**बैंकिंग विभाग (बैंवि) की आस्तियां**			
आरक्षित निधि		6,500.00	6,500.00	नोट, रुपया सिक्का, छोटे सिक्के	6	17.13	9.50
अन्य आरक्षित निधि	1	236.00	238.00	स्वर्ण - बैंकिंग विभाग	7	1,96,864.38	2,30,733.95
जमाराशियाँ	2	17,33,787.56	13,54,217.22	निवेश-विदेशी - बैंकिंग विभाग	8	11,41,127.75	10,08,993.26
जोखिम प्रावधान				निवेश-घरेलू - बैंकिंग विभाग	9	14,88,815.96	14,06,422.89
आकस्मिकता निधि		3,10,986.94	3,51,205.69	खरीदे तथा भुनाये गए बिल		0.00	0.00
आस्ति विकास निधि		22,974.68	22,974.68	ऋण और अग्रिम	10	2,08,792.85	2,88,813.53
पुनर्मूल्यन लेखा	3	9,34,544.00	11,26,088.12	सहयोगी संस्थाओं में निवेश	11	2,063.60	2,063.60
अन्य देयताएं	4	75,547.53	1,35,282.86	अन्य आस्तियां	12	46,900.04	59,474.84
निर्गम विभाग की देयताएं				**निर्गम विभाग (निवि) की आस्तियां** (नोट निर्गम के समर्थन के रूप में)			
जारी किए गए नोट	5	31,05,720.56	33,48,244.67	स्वर्ण- निवि	7	1,25,348.98	1,40,765.60
				रुपये सिक्के		508.29	277.29
				निवेश-विदेशी-निर्गम विभाग	8	29,79,863.29	32,07,201.78
				निवेश-घरेलू-निर्गम विभाग	9	0.00	0.00
				घरेलू विनिमय बिल और अन्य वाणिज्यिक-पत्र		0.00	0.00
						31,05,720.56	**33,48,244.67**
	कुल देयताएं	**61,90,302.27**	**63,44,756.24**		**कुल आस्तियां**	**61,90,302.27**	**63,44,756.24**

चारुलता एस. कर	टी. रबी शंकर	एम. राजेश्वर राव	एम. डी. पात्र	एम. के. जैन	शक्तिकान्त दास
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक	उप गवर्नर	उप गवर्नर	उप गवर्नर	उप गवर्नर	गवर्नर

भारतीय रिज़र्व बैंक
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष का आय विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

आय	अनुसूची	2021-22	2022-23
ब्याज	13	95,088.76	1,43,073.11
अन्य आय	14	65,023.37	92,384.15
कुल		**1,60,112.13**	**2,35,457.26**
व्यय			
नोटों का मुद्रण		4,984.80	4,682.80
मुद्रा विप्रेषण पर व्यय		82.95	118.19
एजेंसी प्रभार	15	4,400.62	4,068.62
कर्मचारी लागत		3,869.43	6,003.93
ब्याज		1.77	1.92
डाक और संचार प्रभार		140.09	191.18
मुद्रण और लेखन-सामग्री		22.58	26.97
किराया, कर, बीमा, बिजली, आदि		145.56	161.47
मरम्मत और रखरखाव		109.17	126.21
निदेशकों और स्थानीय बोर्ड सदस्यों के शुल्क और व्यय		1.48	4.15
लेखा-परीक्षकों के शुल्क और व्यय		6.49	7.44
विधिक प्रभार		14.03	16.88
मूल्यह्रास		280.99	303.18
विविध व्यय		1,073.71	1,448.35
प्रावधान		1,14,667.01	1,30,875.75
कुल		**1,29,800.68**	**1,48,037.04**
उपलब्ध शेष राशि		**30,311.45**	**87,420.22**
घटाएं:			
ए) निम्नलिखित में अंशदान :			
(i) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि		1.00	1.00
(ii) राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि		1.00	1.00
बी) नाबार्ड को अंतरित योग्य :			
(i) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि [1]		1.00	1.00
(ii) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि [1]		1.00	1.00
सी) अन्य			
केंद्र सरकार को देय अधिशेष		**30,307.45**	**87,416.22**

1. ये निधियां राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के पास हैं।

चारुलता एस. कर	टी. रबी शंकर	एम. राजेश्वर राव	एम. डी. पात्र	एम. के. जैन	शक्तिकान्त दास
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक	उप गवर्नर	उप गवर्नर	उप गवर्नर	उप गवर्नर	गवर्नर

अनुसूचियां जो तुलन पत्र और आय विवरण का हिस्सा हैं

(राशि ₹ करोड़ में)

		2021-22	2022-23
अनुसूची 1 :	**अन्य आरक्षित निधियाँ**		
	(i) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	31.00	32.00
	(ii) राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	205.00	206.00
	कुल	**236.00**	**238.00**
अनुसूची 2 :	**जमाराशियां**		
	(ए) सरकार		
	(i) केंद्र सरकार	5,000.04	5,000.93
	(ii) राज्य सरकारें	42.45	42.49
	उप योग	***5,042.49***	***5,043.42***
	(बी) बैंक		
	(i) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	8,23,632.33	8,68,939.67
	(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	7,592.50	8,100.09
	(iii) अन्य अनुसूचित सहकारी बैंक	10,871.51	11,530.78
	(iv) गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	5,089.60	5,177.27
	(v) अन्य बैंक	29,540.22	36,729.16
	उप योग	***8,76,726.16***	***9,30,476.97***
	(सी) भारत से बाहर की वित्तीय संस्थाएं		
	(i) रिपो उधार – विदेशी	74,438.88	1,00,952.11
	(ii) रिवर्स रिपो मार्जिन – विदेशी	1,289.10	1,255.08
	उप योग	***75,727.98***	***1,02,207.19***
	(डी) अन्य		
	(i) भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भ.नि. खाते के प्रशासक	4,503.16	4,642.35
	(ii) जमाकर्ता शिक्षण और जागरुकता निधि	48,262.85	62,224.89
	(iii) विदेशी केंद्रीय बैंकों की शेष राशियां	491.28	1,059.02
	(iv) भारतीय वित्तीय संस्थाओं की शेष राशियां	1,007.61	6,796.52
	(v) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की शेष राशियां	542.64	507.06
	(vi) म्यूचुअल फंड	1.34	1.34
	(vii) अन्य	7,21,482.05	2,41,258.46
	उप योग	***7,76,290.93***	***3,16,489.64***
	कुल	**17,33,787.56**	**13,54,217.22**
अनुसूची 3 :	**पुनर्मूल्यन लेखा**		
	(i) मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन लेखा (सीजीआरए)	9,13,389.29	11,24,733.16
	(ii) निवेश पुनर्मूल्यन लेखा - विदेशी प्रतिभूतियां (आईआरए-एफएस)	0.00	0.00
	(iii) निवेश पुनर्मूल्यन लेखा – रुपया प्रतिभूतियां (आईआरए-आरएस)	18,577.81	0.00
	(iv) विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यन लेखा (एफसीवीए)	2,576.90	1,354.96
	कुल	**9,34,544.00**	**11,26,088.12**
अनुसूची 4 :	**अन्य देयताएं**		
	(i) वायदा संविदा मूल्यन लेखा हेतु प्रावधान (पीएफसीवीए)	0.00	0.00
	(ii) देयराशियों के लिए प्रावधान	3,281.08	3,665.97
	(iii) उपदान और अधिवर्षिता निधि	28,872.79	30,892.24
	(iv) भारत सरकार को देय अधिशेष	30,307.45	87,416.22
	(v) देय बिल	0.14	0.11
	(vi) विविध	13,086.07	13,308.32
	कुल	**75,547.53**	**1,35,282.86**
अनुसूची 5 :	**जारी नोट**		
	(i) बैंकिंग विभाग में धारित नोट	17.07	9.43
	(ii) संचलन में नोट	31,05,703.49	33,48,218.85
	(iii) सीबीडीसी-डब्ल्यू	0.00	10.69
	(iv) सीबीडीसी-आर	0.00	5.70
	कुल	**31,05,720.56**	**33,48,244.67**

		2021-22	2022-23
अनुसूची 6 :	**नोट, रुपये सिक्के, छोटे सिक्के**		
	(i) नोट	17.07	9.43
	(ii) रुपये सिक्के	0.05	0.06
	(iii) छोटे सिक्के	0.01	0.01
	कुल	**17.13**	**9.50**
अनुसूची 7 :	**स्वर्ण**		
	(ए) बैंकिंग विभाग		
	(i) स्वर्ण	1,92,169.72	2,04,401.58
	(ii) जमा स्वर्ण	4,694.66	26,332.37
	उप योग	***1,96,864.38***	***2,30,733.95***
	(बी) निर्गम विभाग	1,25,348.98	1,40,765.60
	कुल	**3,22,213.36**	**3,71,499.55**
अनुसूची 8 :	**निवेश-विदेशी**		
	(i) निवेश-विदेशी - बैंकिंग विभाग	11,41,127.75	10,08,993.26
	(ii) निवेश-विदेशी - निर्गम विभाग	29,79,863.29	32,07,201.78
	कुल	**41,20,991.04**	**42,16,195.04**
अनुसूची 9 :	**निवेश घरेलू**		
	(i) निवेश-घरेलू - बैंकिंग विभाग	14,88,815.96	14,06,422.89
	(ii) निवेश-घरेलू - निर्गम विभाग	0.00	0.00
	कुल	**14,88,815.96**	**14,06,422.89**
अनुसूची 10 :	**ऋण और अग्रिम**		
	ए) निम्नलिखित को ऋण और अग्रिम		
	(i) केंद्र सरकार	0.00	48,677.00
	(ii) राज्य सरकार	1,666.56	791.72
	उप योग	***1,666.56***	***49,468.72***
	(बी) निम्नलिखित को ऋण और अग्रिम		
	(i) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	94,365.75	1,12,731.34
	(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	0.00	0.00
	(iii) अन्य अनुसूचित सहकारी बैंक	0.00	0.00
	(iv) गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	0.00	0.00
	(v) नाबार्ड	23,010.10	0.00
	(vi) अन्य	14,506.94	24,485.36
	उप योग	***1,31,882.79***	***1,37,216.70***
	(सी) भारत से बाहर वित्तीय संस्थाओं को ऋण और अग्रिम		
	(i) रिवर्स रिपो उधार- विदेशी	75,190.78	1,01,968.98
	(ii) रिपो मार्जिन – विदेशी	52.72	159.13
	उप योग	***75,243.50***	***1,02,128.11***
	कुल	**2,08,792.85**	**2,88,813.53**
अनुसूची 11 :	**अनुषंगी / सहायक संस्थाओं में निवेश**		
	(i) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)	50.00	50.00
	(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण (प्रा.) लि. (बीआरबीएनएमपीएल)	1,800.00	1,800.00
	(iii) रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी (प्रा.) लि. (आरईबीआईटी)	50.00	50.00
	(iv) राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफ़ई)	30.00	30.00
	(v) भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी एवं संबद्ध सेवाएं (आईएफ़टीएएस)	33.60	33.60
	(vi) रिज़र्व बैंक नवोन्मेष केंद्र (आरबीआईएच)	100.00	100.00
	कुल	**2,063.60**	**2,063.60**

		2021-22	2022-23
अनुसूची 12 :	**अन्य आस्तियां**		
	(i) अचल आस्तियां (कुल मूल्यह्रास को घटाकर)	882.46	981.57
	(ii) **उपचित आय (ए + बी)**	**41,769.61**	**55,217.80**
	ए. कर्मचारियों को दिए गए ऋणों पर	*366.08*	*383.70*
	बी. अन्य मदों पर	*41,403.53*	*54,834.10*
	(iii) स्वैप परिशोधन लेखा (एसएए)	0.00	0.00
	(iv) वायदा संविदा लेखा का पुनर्मूल्यन (आरएफ़सीए)	2,576.90	1,354.96
	(v) विविध	1,671.07	1,920.51
	कुल	**46,900.04**	**59,474.84**
अनुसूची 13 :	**ब्याज**		
	(ए) घरेलू स्रोत		
	(i) रुपया प्रतिभूतियों की धारिता पर ब्याज	96,396.42	96,516.05
	(ii) एलएएफ परिचालन पर निवल ब्याज	-35,501.29	-9,068.41
	(iii) एसडीएफ पर ब्याज	0.00	-7,444.71
	(iv) एमएसएफ परिचालन पर ब्याज	37.63	361.02
	(v) ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज	1,501.82	2,411.98
	उप योग	***62,434.58***	***82,775.93***
	(बी) विदेशी स्रोत		
	(i) विदेशी प्रतिभूतियों से ब्याज आय	31,559.33	43,649.26
	(ii) रिपो / रिवर्स रीपो लेन-देन पर निवल ब्याज	42.32	228.25
	(iii) जमाराशियों पर ब्याज	1,052.53	16,419.67
	उप योग	***32,654.18***	***60,297.18***
	कुल	**95,088.76**	**1,43,073.11**
अनुसूची 14 :	**अन्य आय**		
	(ए) घरेलू स्रोत		
	(i) विनिमय	0.00	0.00
	(ii) डिस्काउंट	403.76	0.00
	(iii) कमीशन	3,058.09	3,469.14
	(iv) प्राप्त किराया	11.38	8.99
	(v) रुपया प्रतिभूतियों की बिक्री और मोचन पर लाभ/हानि	6,028.19	-222.86
	(vi) रुपया प्रतिभूतियों के अंतर पोर्टफोलियो अंतरण पर मूल्यह्रास	-20.07	-110.67
	(vii) रुपया प्रतिभूतियों के प्रीमियम/डिस्काउंट का परिशोधन	-1,717.97	-2,264.19
	(viii) बैंक की संपत्ति बिक्री से लाभ/हानि	6.72	2.45
	(ix) प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं और विविध आय	325.09	-330.07
	उप योग	***8,095.19***	***552.79***
	(बी) विदेशी स्रोत		
	(i) विदेशी प्रतिभूतियों के प्रीमियम/डिस्काउंट का परिशोधन	-15,286.09	-9,972.25
	(ii) विदेशी प्रतिभूतियों की बिक्री और मोचन पर लाभ/हानि	3,002.39	-1,740.59
	(iii) विदेशी मुद्रा कारोबार से प्राप्त विनिमय पर लाभ/हानि	68,990.55	1,03,308.35
	(iv) विविध आय	221.33	235.85
	उप योग	***56,928.18***	***91,831.36***
	कुल	**65,023.37**	**92,384.15**
अनुसूची 15 :	**एजेंसी प्रभार**		
	(i) सरकारी लेन-देन पर एजेंसी कमीशन	3,858.95	3,873.06
	(ii) प्राथमिक व्यापारियों को अदा किया गया हामीदारी कमीशन	486.95	107.47
	(iii) विविध (राहत /बचत बॉण्डों के अभिदान; एसबीएलए आदि के लिए बैंकों को अदा किया गया हैंडलिंग प्रभार / टर्नओवर कमीशन)	12.29	20.98
	(iv) बाहरी आस्ति-प्रबंधकों, अभिरक्षकों, ब्रोकर आदि को अदा किया गया शुल्क	42.43	67.11
	कुल	**4,400.62**	**4,068.62**

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष में अपनायी गयी महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का विवरण

(ए) सामान्य

1.1 अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 (आरबीआई अधिनियम, 1934) के अंतर्गत की गई थी जिसका उद्देश्य "बैंक नोटों के निर्गम को नियंत्रित करना और भारत में मौद्रिक स्थायित्व प्राप्त करने की दृष्टि से आरक्षित निधि रखना और सामान्यतः देश के हित में मुद्रा और ऋण प्रणाली परिचालित करना" है।

1.2 बैंक के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:

ए) बैंक नोट का निर्गमन एवं सिक्कों का संचलन

बी) मौद्रिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करना और मौद्रिक नीति का निर्माण, कार्यान्वयन और निगरानी करना एवं अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करना।

सी) वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण।

डी) भुगतान और निपटान प्रणालियों का विनियमन और पर्यवेक्षण।

ई) विदेशी मुद्रा का प्रबंधकर्ता।

एफ) देश के विदेशी मुद्रा भंडार का अनुरक्षण और प्रबंधन।

जी) बैंकों और सरकारों के बैंकर के रूप में कार्य करना।

एच) सरकारों के ऋण प्रबंधक के रूप में कार्य करना।

आई) राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति में सहयोग हेतु विकासात्मक गतिविधियां संचालित करना।

1.3 आरबीआई अधिनियम, 1934 में अपेक्षा की गई है कि बैंक नोटों का निर्गमन बैंक के निर्गम विभाग द्वारा किया जाना चाहिए जो एक अलग विभाग होगा और इसे बैंकिंग विभाग से पूर्णतः अलग रखा जाएगा और निर्गम विभाग की आस्तियां निर्गम विभाग की देयताओं को छोड़कर किसी अन्य देयता के अधीन नहीं होंगी। आरबीआई अधिनियम, 1934 में अपेक्षा की गई है कि निर्गम विभाग की आस्तियों में सोने के सिक्के, स्वर्ण बुलियन, विदेशी प्रतिभूतियां, रुपया सिक्के और रुपया प्रतिभूतियां शामिल होंगी और इनकी समग्र राशि निर्गम विभाग की कुल देयताओं से कम नहीं होनी चाहिए । आरबीआई अधिनियम, 1934 की अपेक्षा है कि निर्गम विभाग की देयताएं भारत सरकार के करेंसी नोटों तथा उस समय संचलनगत बैंक नोटों के योग के बराबर होंगी।

(बी) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 कन्वेंशन

वित्तीय विवरण भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 और उसके तहत जारी अधिसूचनाओं के अनुसार और भारतीय रिजर्व बैंक सामान्य विनियम, 1949 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में तैयार किए जाते हैं। ये ऐतिहासिक लागत पर आधारित होते हैं, सिवाय इसके कि जहां पुनर्मूल्यन और/या परिशोधन को प्रतिबिंबित करने के लिए संशोधित किया गया हो। जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, वित्तीय विवरण तैयार करने में अपनायी जाने वाली लेखा नीतियां पिछले वर्ष में अपनायी गई नीतियों के अनुरूप हैं।

2.2 राजस्व निर्धारण

ए) आय और व्यय को बैंकों से लिए जाने वाले दंडात्मक ब्याज को छोड़कर उपचय के आधार पर निर्धारित की जाती है, जिसका हिसाब तभी दिया जाता है जब वसूली की निश्चितता हो। शेयरों पर लाभांश आय को उपचय आधार पर निर्धारित की जाती है जब इसे प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

बी) ड्राफ्ट देय खाते, भुगतान आदेश खाता, विविध जमा खाता- विविध-बीडी, विप्रेषण समाशोधन खाता, बयाना राशि जमा खाता और प्रतिभूति जमा खाते सहित कुछ ट्रांजिट खातों में तीन से अधिक स्पष्ट लगातार लेखांकन

वर्षों के लिए बकाया और अदावी शेष जमाराशि की समीक्षा की जाती है और आय में प्रतिलेखित किया जाता है। दावे, यदि कोई हों, पर विचार किया जाता है और भुगतान के वर्ष में आय के विरुद्ध अधिरोपित किया जाता है।

सी) विदेशी मुद्रा में आय और व्यय, उस दिन के प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज किया गया।

डी) विदेशी मुद्राओं और स्वर्ण की बिक्री पर विनिमय लाभ/हानि को लागत निकालने के लिए भारित औसत लागत पद्धति का उपयोग कर हिसाब में लिया जाता है।

2.3 स्वर्ण और विदेशी मुद्रा आस्तियां एवं देयताएं

स्वर्ण और विदेशी मुद्रा आस्तियों और देनदारियों में लेनदेन का हिसाब निपटान तिथि के आधार पर किया जाता है।

ए) स्वर्ण

स्वर्ण (स्वर्ण जमा सहित) का पुनर्मूल्यन, दैनिक आधार पर, अमेरिकी डॉलर में लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन (एलबीएमए) के स्वर्ण की कीमत, के नब्बे (90) प्रतिशत और रुपया-अमेरिकी डॉलर बाजार विनिमय दर पर किया जाता है। अप्राप्त मूल्यन लाभ/हानि को मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते (सीजीआरए) में शामिल किया जाता है।

बी) विदेशी मुद्रा आस्तियां और देयताएं

विदेशी मुद्रा की सभी आस्तियां और देयताएं (स्वैप के तहत रिपो के रूप में प्राप्त विदेशी मुद्रा और उन संविदाओं जहां दरें संविदागत रूप में निर्धारित होती हैं, को छोड़कर) उस दिवस को विद्यमान विनिमय दरों पर दैनिक आधार पर दर्शायी जाती हैं। विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं के इस प्रकार के अंतरण से होने वाले अप्राप्त लाभ/हानि का लेखांकन सीजीआरए में किया जाता है।

विदेशी प्रतिभूतियां, ट्रेजरी बिल (टी-बिल), वाणिज्यिक पत्र और कुछ 'परिपक्वता तक धारित' प्रतिभूतियों के अलावा (जैसे कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी नोटों में निवेश और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (आईआईएफसी), यूके द्वारा जारी बॉण्ड जो लागत पर मूल्यांकित हैं) दैनिक मार्क-टू-मार्केट होते हैं। पुनर्मूल्यन पर अप्राप्त लाभ/हानि 'निवेश पुनर्मूल्यन खाता - विदेशी प्रतिभूति' (आईआरए-एफएस) में दर्ज किए जाते हैं। आईआरए-एफ़एस में क्रेडिट शेष को अगले वर्ष के लिए आगे ले जाया जाता है। आईआरए-एफ़एस में वर्ष के अंत में डेबिट शेष जमा, यदि कोई हो, आकस्मिकता निधि (सीएफ़) में प्रभारित किया जाता है और उसे अगले लेखा वर्ष के पहले कार्य दिवस पर वापस कर दिया जाता है।

विदेशी टी-बिल और वाणिज्यिक पत्रों को डिस्काउंट/प्रीमियम के दैनिक परिशोधन द्वारा समायोजित लागत पर ले जाया जाता है। विदेशी प्रतिभूतियों पर प्रीमियम या डिस्काउंट का दैनिक परिशोधन किया जाता है। विदेशी प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ/हानि को बही मूल्य के संबंध में मान्यता दी जाती है। विदेशी प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ/हानि को परिशोधित बही मूल्य के संबंध में निर्धारित किया जाता है।

सी) फॉरवर्ड / स्वैप संविदा

रिज़र्व बैंक द्वारा की गई वायदा संविदाओं का पुनर्मूल्यन अर्धवार्षिक आधार पर किया जाता है । जिसमें, बाजार मूल्य पर (एमटीएम) निवल लाभ को 'विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यन खाता' (एफसीवीए) में जमा किया जाता है और इसकी प्रति-प्रविष्टि 'वायदा संविदा पुनर्मूल्यन खाते (आरएफसीए)' में नामे डालते हुए की जाती है, बाजार मूल्य पर (एमटीएम) निवल हानि को एफसीवीए में नामे डाला जाता है और इसकी प्रति-प्रविष्टि 'वायदा संविदा मूल्यन हेतु प्रावधान खाता ' (पीएफसीवीए) को क्रेडिट करते हुए की जाती है। संविदा की अवधि पूर्ण होने पर वास्तविक लाभ या हानि को आय विवरण खाते में दर्शाया जाता है तथा एफसीवीए, आरएफसीए एवं पीएफसीवीए में पहले दर्ज किए गए अप्राप्त लाभ/हानि रिवर्स किए जाते हैं। अर्धवार्षिक पुनर्मूल्यन के समय, उस दिन तक एफसीवीए और आरएफसीए या पीएफसीवीए में मौजूद शेष राशि रिवर्स कर दी जाती है और सभी

बकाया वायदा संविदाओं का नए सिरे से पुनर्मूल्यन किया जाता है ।

एफसीवीए में डेबिट बैलेंस, यदि कोई हो, बैलेंस शीट की तारीख पर, सीएफ से चार्ज किया जाता है और अगले वर्ष के पहले कार्य दिवस पर रिवर्स कर दिया जाता है। आरएफसीए और पीएफसीवीए में शेष राशि वायदा संविदाओं के मूल्यन पर क्रमशः निवल अप्राप्त लाभ और हानियों का प्रतिनिधित्व करती है।

बाजार से भिन्न दरों पर की जाने वाली स्वैप, जो रिपो के रूप में होती है, फ्यूचर संविदा दर तथा संविदा किए जाने की तय दर के बीच के अंतर का परिशोधन संविदा की अवधि के दौरान किया जाता है और उसे आय विवरण में दर्ज किया जाता है जिसकी प्रतिप्रविष्टि 'स्वैप परिशोधन खाते' (एसएए) में की जाती है । अंतर्निहित संविदा की परिपक्वता अवधि पूर्ण होने पर एसएए में दर्ज राशि रिवर्स की जाती है । इसके अलावा, इस तरह के स्वैप के माध्यम से प्राप्त राशि का आवधिक पुनर्मूल्यन नहीं किया जाता है।

जहाँ, एफसीवीए 'पुनर्मूल्यन खातों' का हिस्सा है, वहीं पीएफसीवीए 'अन्य देनदारियों' का हिस्सा है, और आरएफसीए और एसएए 'अन्य आस्तियों' का हिस्सा हैं.

डी) **पुनर्खरीद लेनदेन**

रिज़र्व बैंक, आरक्षित निधि प्रबंधन परिचालन के भाग के रूप में विदेशी पुनर्खरीद लेनदेन (रीपो और रिवर्स रीपो) में भाग लेता है। रीपो लेनदेन को विदेशी मुद्राओं के उधार लेने के रूप में माना जाता है और 'जमा' के तहत दिखाया जाता है, जबकि रिवर्स रीपो लेनदेन को विदेशी मुद्राओं के उधार देने के रूप में माना जाता है और 'ऋण और अग्रिम' के तहत दिखाया जाता है।

ई) **डेरीवेटिव में लेनदेन**

आरक्षित निधि प्रबंधन परिचालनों के हिस्से के रूप में, ब्याज दर फ्यूचर्स, मुद्रा फ्यूचर्स, ब्याज दर स्वैप और ओवर्नाइट इंडेक्सड स्वैप, जैसे डेरीवेटिव में लेनदेन को आवधिक आधार पर बाजार भाव पर दर्शाया (मार्क्ड टू मार्केट) जाता है और परिणामी लाभ/हानि आय खाते में डाली जाती है।

एफ) प्रतिभूति उधार देने संबंधी लेनदेन

आरक्षित निधि प्रबंधन परिचालनों के हिस्से के रूप में रिज़र्व बैंक प्रतिभूति उधार देने संबंधी लेनदेन में भाग लेता है। उधार दी गई प्रतिभूतियां रिज़र्व बैंक के निवेशों के रूप में रहती हैं और लगातार परिशोधित की जाती हैं, ब्याज अर्जित करती हैं और बाजार भाव पर दर्शाई (मार्क्ड टू मार्केट) जाती हैं।

2.4 एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स (ईटीसीडी) में लेनदेन

रिज़र्व बैंक द्वारा अपने हस्तक्षेप कार्यों के हिस्से के रूप में किए गए ईटीसीडी लेनदेन दैनिक आधार पर मार्क-टू-मार्केट होते हैं और परिणामी लाभ / हानि आय खाते में दर्ज की जाती है।

2.5 घरेलू निवेश

ए) रुपये की प्रतिभूतियां और तेल बॉण्ड, टी-बिल और (डी) में उल्लिखित को छोड़कर शुक्रवार को समाप्त होने वाले प्रत्येक सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन और प्रत्येक महीने के अंतिम कारोबारी दिन के अनुसार बाजार दर में चिह्नित किए जाते हैं। पुनर्मूल्यन पर अप्राप्त लाभ/हानि को 'निवेश पुनर्मूल्यांकन खाता-रुपया प्रतिभूतियां' (आईआरए-आरएस) में शामिल किया गया है। आईआरए-आरएस में क्रेडिट बैलेंस को अगले लेखा वर्ष में आगे बढ़ाया जाता है। आईआरए-आरएस में वर्ष के अंत में डेबिट बैलेंस, यदि कोई हो, को सीएफ़ से चार्ज किया जाता है और इसे अगले लेखांकन वर्ष के पहले कार्य दिवस पर रिवर्स कर दिया जाता है। रुपये की प्रतिभूतियों/तेल बांडों की बिक्री/मोचन पर, रुपये की प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यांकन लाभ/हानि और आईआरए-आरएस में पड़े बेचे गए तेल बॉण्ड आय खाते में अंतरित कर दिए जाते हैं। रुपया प्रतिभूतियां और तेल बॉण्ड भी दैनिक परिशोधन के अधीन हैं।

बी) ट्रेजरी बिलों का मूल्यन लागत पर किया जाता है।

सी) अनुषंगियों के शेयरों में निवेश का मूल्यन लागत पर किया जाता है।

डी) विभिन्न स्टाफ फंडों (जैसे ग्रेच्युटी और सुपरएनुएशन, प्रोविडेंट फंड, लीव एनकैशमेंट, मेडिकल असिस्टेंस फंड) और डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड (डीईए फंड) के लिए निर्धारित तेल बॉण्ड और रुपया प्रतिभूतियों को 'परिपक्वता के लिए धारित' माना जाता है और इन्हें परिशोधन लागत पर धारित किया जाता है।

ई) घरेलू निवेश में लेनदेन का हिसाब निपटान तिथि के आधार पर किया जाता है।

2.6 चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) रेपो/रिवर्स रेपो सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) और स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ)

एलएएफ और एमएसएफ के तहत रेपो लेनदेन को उधार के रूप में माना जाता है और तदनुसार 'ऋण और अग्रिम' के तहत दिखाया जाता है जबकि एलएएफ के तहत रिवर्स रेपो लेनदेन को जमा के रूप में माना जाता है और 'जमा-अन्य' के तहत दिखाया जाता है।

2.7 अचल आस्तियां

अचल संपत्तियों को लागत पर रखे गए कला और पेंटिंग तथा फ्रीहोल्ड भूमि को छोड़कर अन्य सभी को लागत मूल्य में से मूल्यह्रास घटाकर पर बताया गया है।

2.7.1 भूमि और भवनों के अलावा अचल आस्तियां

ए) ₹1 लाख तक की अचल संपत्ति (लैपटॉप/ई-बुक रीडर जैसी आसानी से पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक संपत्तियों को छोड़कर) अधिग्रहण के वर्ष में आय के लिए शुल्क लिया जाता है। आसानी से पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक संपत्ति, जैसे लैपटॉप, आदि, जिनकी कीमत ₹10,000 से अधिक है, को पूंजीकृत किया जाता है और मूल्यह्रास की गणना मासिक आनुपातिक आधार पर लागू दर पर की जाती है।

बी) ₹1 लाख और उससे अधिक की लागत वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की अलग-अलग मदों को पूंजीकृत किया जाता है और मूल्यह्रास की गणना मासिक आनुपातिक आधार पर लागू दरों पर की जाती है।

सी) लेखांकन वर्ष के दौरान अर्जित और पूंजीकृत अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास की गणना पूंजीकरण के महीने से मासिक आनुपातिक आधार पर की जाएगी और छमाही आधार पर लागू आस्तियों के उपयोगी जीवन काल के आधार पर निर्धारित दरों पर प्रभावी की जाएंगी।

डी) निम्नलिखित अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास निम्नलिखित तरीके से एक संपत्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर एक सीधी रेखा के आधार पर प्रदान किया जाता है :

आस्ति की श्रेणी	उपयोगी जीवन (मूल्यह्रास की दर)
1	2
विद्युत प्रतिष्ठान, यूपीएस, मोटर वाहन, फर्नीचर, फिक्स्चर, सीवीपीएस / एसबीएस मशीनें, इत्यादि।	5 साल (20 प्रतिशत)
कंप्यूटर, सर्वर, माइक्रो प्रोसेसर, प्रिंटर, सॉफ्टवेयर, लैपटॉप, ई-बुक रीडर /आई-पैड इत्यादि	3 साल (33.33 प्रतिशत)

ई) मासिक यथानुपात आधार पर अचल आस्तियों की छमाही के अंत में शेष राशि पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है। संपत्तियों को जोड़ने/हटाने के मामले में, ऐसी संपत्तियों को जोड़ने/हटाने के महीने सहित मासिक आनुपातिक आधार पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।

एफ) बाद के खर्च पर मूल्यह्रास:

i. एक मौजूदा अचल आस्ति पर किए गए बाद के व्यय को खाता बहियों में पूरी तरह से मूल्यह्रास नहीं किया गया है, मूल संपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रास किया जाता है;

ii. मौजूदा अचल संपत्ति के आधुनिकीकरण/अतिरिक्त/ओवरहालिंग पर किए गए बाद के खर्च, जिनका पहले से ही खाता बहियों में पूरी तरह से मूल्यह्रास किया गया है, को पहले पूंजीकृत किया जाता है और उसके बाद उस वर्ष में पूरी तरह से मूल्यह्रास किया जाता है जिसमें व्यय किया जाता है।

2.7.2 भूमि एवं भवन: भूमि एवं भवन के संबंध में लेखांकन प्रक्रिया निम्नानुसार है :

ए) *भूमि*

i. 99 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पट्टे पर ली गई भूमि के संबंध में यह माना जाता है कि यह सदा के लिए पट्टे पर ली गई है। इस प्रकार के पट्टों को पूर्ण स्वामित्व वाली संपत्तियाँ माना जाता है और इसीलिए इनका परिशोधन नहीं किया जाता है।

ii. 99 वर्ष तक की अवधि के लिए पट्टे पर ली गई भूमि का परिशोधन पट्टा की अवधि के दौरान किया जाता है।

iii. पूर्ण स्वामित्व आधार पर ली गई भूमि का किसी प्रकार का परिशोधन नहीं किया जाता है।

बी) *भवन*

i. सभी भवनों का जीवन-काल तीस वर्ष माना जाता है और इन पर मूल्यह्रास तीस वर्षों के दौरान 'स्ट्रेट-लाइन' आधार पर प्रभारित किया जाता है। पट्टे पर ली गई भूमि (जहां पट्टे की अवधि 30 वर्षों से कम है) पर बनाए गए भवनों पर मूल्यह्रास भूमि के पट्टे की अवधि के दौरान 'स्ट्रेट-लाइन' आधार पर प्रभारित किया जाता है।

ii. भवनों को हुई क्षति: क्षति के आकलन के लिए भवनों को निम्नानुसार दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- *ऐसे भवन जो प्रयोग में लाए जा रहे हों किंतु जो भविष्य में ढहाए जाने के लिए चिह्नित हों/जिनका उपयोग भविष्य में बंद कर दिया जाएगा*: ऐसे भवनों की प्रयोग में लाई जा रही कीमत, उसके छोड़े जाने/ढहाए जाने की संभावित तारीख तक की भावी अवधि के लिए समग्र मूल्यह्रास की राशि होगी। इस प्रकार प्राप्त समग्र मूल्यह्रास की राशि और बही मूल्य के अंतर को मूल्यह्रास के रूप में प्रभारित किया जाता है।
- *जिन भवनों का उपयोग बंद कर दिया गया है/जिन्हें खाली कर दिया गया है :* ऐसे भवनों को बेच कर प्राप्त मूल्य (निवल बिक्री मूल्य - यदि भविष्य में आस्ति को बेचे जाने की संभावना है) अथवा स्क्रैप मूल्य में से भवन ढहाए जाने की लागत को घटाकर प्राप्त राशि (यदि भवन को ढहाया जाना हो) को दर्ज किया जाता है। यदि यह परिणामी राशि ऋणात्मक हो, तो इस प्रकार के भवनों का रखाव मूल्य ₹1 दर्शाया जाता है। बही में दर्ज मूल्य और बेचकर प्राप्त होने वाले मूल्य (निवल बिक्री मूल्य) / स्क्रैप मूल्य में से ढहाए जाने की लागत को घटाकर प्राप्त राशि को मूल्यह्रास के रूप में प्रभारित किया जाता है।

2.8 कर्मचारी हितलाभ

ए) बैंक अपने पात्र कर्मचारियों के लिए मासिक आधार पर एक निश्चित दर पर भविष्य निधि में अंशदान करता है और इन अंशदानों को संबंधित वर्ष में आय खाते में प्रभारित किया जाता है।

बी) दीर्घावधि कर्मचारी लाभों से संबंधित अन्य देयता का प्रावधान 'अनुमानित इकाई क्रेडिट' प्रणाली के अंतर्गत बीमांकिक मूल्यन के आधार पर किया जाता है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

XII.7 रिज़र्व बैंक की देयताएं

XII.7.1 पूंजी

रिज़र्व बैंक की स्थापना निजी शेयर धारकों के बैंक के रूप में 1935 में की गई थी जिसकी प्रारंभिक चुकता पूंजी ₹5 करोड़ थी । रिज़र्व बैंक को 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकृत किया गया और इसके साथ ही उसका संपूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास बना रहा । भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 4 के अनुसार बैंक की चुकता पूंजी ₹5 करोड़ बनी हुई है ।

XII.7.2 आरक्षित निधि

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46 के अनुसार ₹5 करोड़ की मूल आरक्षित निधि का सृजन रिज़र्व बैंक द्वारा अधिग्रहीत तत्कालीन सरकार की मुद्रा देयताओं के प्रति केंद्र सरकार से अंशदान लेकर किया गया था। उसके पश्चात अक्टूबर 1990 तक स्वर्ण के आवधिक पुनर्मूल्यन से प्राप्त होने वाले ₹6,495 करोड़ की लाभ राशि को इस निधि में जमा किया गया जिससे यह निधि बढ़कर ₹6,500 करोड़ हो गई । उसके बाद से इस निधि में राशि जमा नहीं की गई है क्योंकि स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा के मूल्यन से होने वाले अप्राप्त लाभ-हानि को मुद्रा एवं स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए) में तब से दर्ज किया जाता रहा है जो कि तुलन-पत्र में 'पुनर्मूल्यन खाता' की मद का एक हिस्सा है ।

XII.7.3 अन्य आरक्षित निधियां

इसमें राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि और राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि शामिल हैं ।

ए) *राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि*

इस निधि का सृजन जुलाई 1964 में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46सी के अनुसार ₹10 करोड़ की प्रारंभिक राशि के साथ किया गया था । इस निधि में रिज़र्व बैंक द्वारा पात्र वित्तीय संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वार्षिक अंशदान दिया जाता है । वर्ष 1992-93 से, प्रतिवर्ष ₹1 करोड़ की सांकेतिक राशि का अंशदान किया जा रहा है। 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार इस निधि की राशि ₹32 करोड़ थी ।

बी) *राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि*

यह निधि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46डी के अनुसार राष्ट्रीय आवास बैंक को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए जनवरी 1989, में स्थापित की गई थी । ₹50 करोड़ की आरंभिक पूंजी को रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वाले वार्षिक सहयोग के माध्यम से बाद में बढ़ाया गया। वर्ष 1992-93 से, प्रतिवर्ष सिर्फ ₹1 करोड़ की सांकेतिक राशि का ही अंशदान किया जा रहा है। 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार इस निधि में ₹206 करोड़ की शेष राशि थी ।

टिप्पणी : अन्य निधियों में अंशदान

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46ए के तहत दो अन्य निधियों, नामतः राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि और राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि की स्थापना की गई है जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की देखरेख में है। इन दोनों निधियों के लिए प्रति वर्ष ₹1 करोड़ की टोकन राशि अलग रखी जाती है, जिसे नाबार्ड को अंतरित किया जाता है।

XII.7.4 जमाराशियां

इसके अंतर्गत रिज़र्व बैंक में रखी जाने वाली - बैंकों, केंद्र और राज्य सरकारों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं, जैसे, निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक), नाबार्ड इत्यादि, विदेशी केंद्रीय बैंकों, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासकों की जमा राशि, और जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (डीईए निधि), रिवर्स रिपो, चिकित्सा सहायता निधि (एमएएफ), आदि के बदले बकाया जमाराशियां शामिल होती हैं । कुल जमाराशि में 21.89 प्रतिशत की कमी आई और यह 31 मार्च 2022 के ₹17,33,787.56 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2023 को ₹13,54,217.22 करोड़ हो गयी ।

ए. *जमाराशियां - सरकार*

रिज़र्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 20 और 21, के तहत केंद्र सरकार के बैंकर के रूप में तथा धारा 21ए के तहत हुए आपसी समझौते के तहत राज्य सरकारों के बैंकर के रूप में कार्य करता है । तदनुसार, केंद्र और राज्य सरकारें रिज़र्व बैंक के पास जमाराशियां रखती हैं। 31 मार्च 2022 के ₹5,000.04 करोड़ और ₹42.45 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2023 को केंद्र और राज्य सरकारों की धारित शेषराशियां क्रमश: ₹5000.93 करोड़ और ₹42.49 करोड़ थीं।

बी. *जमाराशियां - बैंक*

आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने एवं भुगतान और निपटान संबंधी दायित्वों का निर्वाह हेतु कार्यशील पूंजी बनाए रखने के लिए रिज़र्व बैंक में धारित चालू खातों में बैंक राशि जमा रखते हैं । बैंकों द्वारा धारित जमाराशि में 6.13 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 31 मार्च 2022 के ₹ 8,76,726.16 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2023 को ₹9,30,476.97 करोड़ हो गयी । इस शीर्ष में वृद्धि मुख्यतः उच्चतर सीआरआर 31 मार्च 2022 को एनडीटीएल के 4.0 प्रतिशत की सीआरआर आवश्यकता की तुलना में मार्च 2023 के अंत में एनडीटीएल के 4.5 प्रतिशत सीआरआर बनाए रखने की आवश्यकता के कारण हुई ।

सी. *जमाराशियां – भारत के बाहर वित्तीय संस्थाएं*

भारत के बाहर वित्तीय संस्थाओं द्वारा धारित जमाराशियां वर्ष के दौरान रेपो अंतरण की मात्रा में वृद्धि के कारण 31 मार्च 2022 को ₹75,727.98 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2023 को बढ़कर ₹1,02,207.19 करोड़ हो गईं ।

डी. *जमाराशियां - अन्य*

'जमाराशियां - अन्य' में भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासक की जमाराशियां, जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (डीईए निधि) की जमाराशियां, विदेशी केंद्रीय बैंकों, भारतीय और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, चिकित्सा सहायता निधि, पीआईडीएफ, बकाया रिवर्स रिपो की राशियां, एसडीएफ आदि शामिल होती हैं। 'जमाराशियां-अन्य' जो कि 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार ₹7,76,290.93 करोड़ थी, इसमें 59.23 प्रतिशत की कमी हुई और यह 31 मार्च 2023 को ₹3,16,489.64 करोड़ हो गयी जिसका प्रमुख कारण रिज़र्व बैंक के पास रिवर्स रिपो जमा में हुई कमी थी ।

XII.7.5 जोखिम प्रावधान

रिज़र्व बैंक आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 47 के अनुसार जोखिम प्रावधान करता है। रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए रखे जाने वाले जोखिम प्रावधान हैं आकस्मिक निधि (सीएफ) और आस्ति विकास निधि (एडीएफ) । पूंजी और आरक्षित निधि के साथ ये दो जोखिम प्रावधान रिज़र्व बैंक द्वारा अपनाए गए आर्थिक पूंजी ढांचे (ईसीएफ) के तहत रिज़र्व बैंक की उपलब्ध प्राप्त इक्विटी (एआरई) के[1] घटक हैं। इन निधियों के लिए किए गए प्रावधान आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 47 के अनुसार किए गए हैं। पूंजी और आरक्षित निधि का ब्यौरा पहले पैराग्राफ में दिया गया है। उक्त दो जोखिम प्रावधान के विवरण निम्नानुसार हैं:

ए. *आकस्मिकता निधि (सीएफ)*

इस विशिष्ट प्रावधान में अप्रत्याशित और अनदेखी आकस्मिकताओं से निपटने के साथ प्रतिभूतियों के हुए मूल्यह्रास, मौद्रिक/विनिमय दर के नीतिगत परिचालनों से उत्पन्न होने वाले जोखिम, प्रणालीगत जोखिम तथा रिज़र्व बैंक को दिए गए विशेष उत्तरदायित्वों के कारण उत्पन्न

[1] भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर, ईसीएफ को अगस्त 2019 में आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड द्वारा अपनाया गया था।

होने वाले जोखिम शामिल हैं। 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, निवेश पुनर्मूल्यांकन खाता-विदेशी प्रतिभूतियों (आईआरए-एफएस) और निवेश पुनर्मूल्यांकन खाता-रुपया प्रतिभूतियों (आईआरए-आरएस) की नामे डेबिट शेष राशि के लिए सीएफ को क्रमश ₹1,65,488.93 करोड़ रुपये और ₹19,417.61 करोड़ रुपये की राशि प्रभारित की गई थी। अगले वर्ष के पहले कार्य दिवस पर सीएफ का प्रभार प्रत्यावर्तित किया गया। इसके अलावा, उपलब्ध प्राप्त इक्विटी को तुलन पत्र के आकार के 6.00 प्रतिशत के स्तर तक बनाए रखने हेतु सीएफ के लिए ₹20,710.12 करोड़ मुहैया कराया गया। तदनुसार, 31 मार्च 2022 के ₹3,10,986.94 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2023 को सीएफ शेष राशि ₹3,51,205.69 करोड़ थी ।

बी. आस्ति विकास निधि (एडीएफ)

आस्ति विकास निधि 1997-98 में बनाई गई और उसकी शेष राशि उस तारीख तक विशेष रूप से अनुषंगियों और संबद्ध संस्थाओं में निवेश करने तथा आंतरिक पूंजीगत खर्च को पूरा करने के लिए किए गए प्रावधानों को दर्शाती है। वर्ष 2022-23 में एडीएफ के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। अत: 31 मार्च 2023 को एडीएफ की शेष राशि ₹22,974.68 करोड़ बनी रही जो 31 मार्च 2022 को थी (सारणी XII.2)।

XII.7.6 पुनर्मूल्यन खाते

अप्राप्त बाजार मूल्यों लाभ/हानि को पुनर्मूल्यन शीर्ष अर्थात मुद्रा एवं स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए), निवेश पुनर्मूल्यन खाता (आईआरए) और विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यन खाता(एफसीवीए) में अंकित किया जाता है। उनके विवरण निम्नानुसार हैं:

ए. मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए)

रिज़र्व बैंक के समक्ष आए बाजार जोखिम के प्रमुख स्रोत हैं मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम और स्वर्ण की कीमतों में उतार-चढ़ाव । विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए) एवं स्वर्ण के मूल्यन से संबंधित अप्राप्त लाभ/हानि को आय खाते में दर्ज न करके सीजीआरए में दर्ज किया जाता है । इसीलिए, सीजीआरए में निवल शेष आस्ति आधार के आकार, इसके मूल्यन और विनिमय दरों तथा स्वर्ण की कीमतों में घट-बढ़ के साथ परिवर्तन होता रहता है। सीजीआरए विनिमय दर / स्वर्ण की कीमतों में घट-बढ़ के लिए एक

सारणी XII.2: पूंजी, आरक्षित निधि और जोखिम प्रावधानों में शेष राशि (उपलब्ध प्राप्त इक्विटी)

(₹ करोड़ में)

स्थिति	पूंजी	आरक्षित निधि	सीएफ में शेष राशि	एडीएफ में शेष राशि	एआरई	तुलन पत्र के प्रतिशत के रूप में एआरई
1	2	3	4	5	6 = (2+3+4+5)	7
30 जून 2019	5.00	6,500.00	1,96,344.35	22,874.68	2,25,724.03	5.50
30 जून 2020	5.00	6,500.00	2,64,033.94@	22,874.68	2,93,413.62	5.50
31 मार्च 2021	5.00	6,500.00	2,84,542.12$	22,874.68	3,13,921.80	5.50
31 मार्च 2022	5.00	6,500.00	3,10,986.94*	22,974.68**	3,40,466.62	5.50
31 मार्च 2023	5.00	6,500.00	3,51,205.69^	22,974.68	3,80,685.37	6.00

@: सीएफ में वृद्धि 30 जून, 2020 तक एफसीवीए में ₹5,925.41 करोड़ रुपये के प्रावधान और ₹73,615 करोड़ रुपये के नामे शेष की वसूली का निवल प्रभाव है।

$: सीएफ में वृद्धि 31 मार्च, 2021 तक एफसीवीए में ₹20,710.12 करोड़ रुपये के प्रावधान और ₹6,127.35 करोड़ रुपए के नामे शेष की वसूली का निवल प्रभाव है।

* : सीएफ में वृद्धि 31 मार्च, 2022 तक आईआरए-एफएस में ₹1,14,567.01 करोड़ के प्रावधान और ₹94,249.54 करोड़ की नामे शेष राशि का प्रभार लगाने का निवल प्रभाव है।

^ : सीएफ में वृद्धि 31 मार्च, 2023 तक ₹1,30,875.75 करोड़ रुपये के प्रावधान और आईआरए-एफएस एवं आईआरए-आरएस में क्रमशः ₹1,65,488.93 करोड़ रुपये और ₹19,417.61 करोड़ रुपये नामे शेष राशि के शुल्क का निवल प्रभाव है।

**: आरबीआईएच में ₹100 करोड़ के निवेश का प्रावधान करने के कारण एडीएफ में वृद्धि हुई है।

बफर प्रदान करता है। अगर रुपया अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में महंगा होता है, या स्वर्ण की कीमतों में गिरावट आती है, तो इस पर दबाव आ सकता है। यदि विनिमय घाटे को पूरा करने के लिए सीजीआरए पर्याप्त नहीं होता, तो इसकी भरपायी आकस्मिकता निधि से की जाती है। 2022-23 के दौरान, सीजीआरए शेष 31 मार्च 2022 के ₹9,13,389.29 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2023 को ₹11,24,733.16 करोड़ हो गया जिसका मुख्य कारण रुपये का अवमूल्यन तथा स्वर्ण की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि है।

बी. *निवेश पुनर्मूल्यन खाता-विदेशी प्रतिभूतियां (आईआरए-एफ़एस)*

विदेशी दिनांकित प्रतिभूतियों को दैनिक आधार पर बाज़ार मूल्य पर अंकित किया जाता है और उससे होने वाले अप्राप्त लाभ/हानि को आईआरए-एफएस में हस्तांतरित कर दिया जाता है। लगभग सभी प्रमुख बाजारों की परिपक्वता अवधि के प्रतिफल में वृद्धि के कारण आईआरए-एफएस में शेष राशि 31 मार्च 2022 को ₹(-)94,249.54 करोड़ से घटकर 31 मार्च 2023 को ₹(-)1,65,488.93 करोड़ हो गई। मौजूदा नीति के अनुसार, आईआरए-एफएस में 1,65,488.93 करोड़ रुपये की नामे(डेबिट) शेष राशि को 31 मार्च 2023 को सीएफ के साथ समायोजित किया गया, जिसे अगले वर्ष के पहले कार्य दिवस पर प्रत्यावर्तित किया गया। तदनुसार, 31 मार्च 2023 तक आईआरए-एफएस में शेष राशि शून्य रही।

सी. *निवेश पुनर्मूल्यन खाता - रुपया प्रतिभूतियां (आईआरए-आरएस)*

बैंकिंग विभाग की आस्तियों के रूप में रखी गई रुपया प्रतिभूतियां और तेल बॉण्ड (महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के तहत उल्लिखित अपवाद के साथ) का शुक्रवार को समाप्त होने वाले प्रत्येक सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन और प्रत्येक महीने के अंतिम कारोबारी दिन में बाज़ार मूल्य पर अंकित किया जाता है और इससे उत्पन्न होने वाले अप्राप्त लाभ/हानि को आईआरए-आरएस में लिखा जाता है। प्रतिफल वक्र पर प्रतिफल बढ़ने से बाज़ार मूल्य पर अंकित करना हानिकारक हो गया और जिसके कारण आईआरए-आरएस में शेष राशि 31 मार्च 2022 को ₹18,577.81 करोड़ से घटकर 31 मार्च 2023 को ₹(-)19,417.61 करोड़ रुपये हो गई।

डी. *विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यांकन खाता (एफसीवीए)*

31 मार्च 2022 तक ₹2,576.90 करोड़ के निवल अप्राप्त लाभ की तुलना में 31 मार्च 2023 को बकाया वायदा संविदा के बाजार मूल्य पर अंकित होने से ₹1,354.96 करोड़ का निवल अप्राप्त लाभ हुआ, जिसे वायदा संविदा मूल्यांकन खाते (आरएफसीए) के प्रतिपक्षी नामे(डेबिट) के साथ एफसीवीए में जमा किया गया।

XII.7.7 अन्य देयताएं

'अन्य देयताएं' 31 मार्च 2022 के ₹75,547.53 करोड़ से 79.07 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2023 को ₹1,35,282.86 करोड़ हो गईं, जिसका मुख्य कारण केंद्र सरकार को देय अधिशेष में वृद्धि है।

i. वायदा संविदा मूल्यांकन खाते (पीएफसीडब्ल्यूए) के लिए प्रावधान

31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2022 को इस खाते में शेष राशि शून्य थी।

पिछले पांच वर्षों के लिए पुनर्मूल्यन खातों और पीएफसीवीए में शेष राशि सारणी XII.3 में दी गई है।

ii. देय राशियों के लिए प्रावधान

यह वर्ष के अंत में किए गए ऐसे व्यय जिनका अभी भुगतान नहीं किया गया है, और यदि कोई अग्रिम / देय में प्राप्त आय हो, उसके लिए किए गए प्रावधानों को दर्शाता है। इस मद में शेष राशि 31 मार्च 2022 के ₹3,281.08 करोड़ से 11.73 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2023 तक ₹3,665.97 करोड़ हो गई।

सारणी XII.3: मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते (सीजीआरए), निवेश पुनर्मूल्यन खाते-विदेशी प्रतिभूतियां (आईआरए-एफ़एस), निवेश पुनर्मूल्यन खाते-रुपया प्रतिभूतियां (आईआरए-आरएस), विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यांकन खाते (एफ़सीवीए) और वायदा संविदा मूल्यांकन खाते के लिए प्रावधान (पीएफ़सीवीए)

(₹ करोड़ में)

दिनांक तक	सीजीआरए	आईआरए-एफ़एस	आईआरए-आरएस	एफ़सीवीए	पीएफ़सीवीए
1	2	3	4	5	6
30 जून 2019	6,64,479.74	15,734.96	49,476.26	1,303.96	0.00
30 जून 2020	9,77,141.23	53,833.99	93,415.50	0.00	5,925.41
31मार्च 2021	8,58,877.53	8,853.67	56,723.79	0.00	6,127.35
31 मार्च 2022	9,13,389.29	0.00	18,577.81	2,576.90	0.00
31 मार्च 2023	11,24,733.16	0.00	0.00	1,354.96	0.00

iii. केंद्र सरकार को देय अधिशेष राशि

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 47 के तहत, अशोध्य और संदिग्ध कर्ज़, आस्तियों में मूल्यह्रास, कर्मचारी और सेवानिवृत्ति निधियों में योगदान और उन सभी मामलों के लिए जिनके लिए अधिनियम द्वारा या उसके तहत प्रावधान किए जाने हैं या जो आमतौर पर बैंकरों द्वारा प्रावधान किया जाता है, उसके लिए प्रावधान करने के बाद, बैंक के लाभ की शेष राशि का भुगतान केंद्र सरकार को किया जाना होता है। आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 48 के तहत, रिज़र्व बैंक अपनी किसी भी आय, मुनाफे या लाभ पर आयकर या अतिकर का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। तदनुसार, सीएफ के लिए प्रावधान और चार सांविधिक निधियों में ₹4 करोड़ के योगदान सहित व्यय को समायोजित करने के बाद, वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र सरकार को देय अधिशेष ₹87,416.22 करोड़ था (विशेष प्रतिभूतियों को विपणन योग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित करने के परिणामस्वरूप सरकार द्वारा वहन किए गए ब्याज व्यय में अंतर के लिए देय पिछले वर्ष के ₹493.92 करोड़ की तुलना में ₹424.07 करोड़ सहित)

iv. देय बिल

रिज़र्व बैंक अपने घटकों के लिए मांग ड्राफ्ट (डीडी) और भुगतान आदेश (पीओ) (इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तंत्र के अलावा) जारी करके प्रेषण सुविधाएं प्रदान करता है। इस मद के तहत शेष राशि अदावी डीडी / पीओ को दर्शाती है। इस मद में बकाया राशि 31 मार्च 2022 को ₹0.14 करोड़ से घटकर 31 मार्च 2023 को ₹0.11 करोड़ हो गई।

v. विविध

यह एक अवशिष्ट मद है जो उद्दिष्ट प्रतिभूतियों पर अर्जित ब्याज, अवकाश नकदीकरण के कारण देय राशि, कर्मचारियों के लिए चिकित्सा प्रावधान, वैश्विक प्रावधान *आदि* जैसी मदों को दर्शाती है। इस मद में शेष राशि 31 मार्च 2022 को ₹13,086.07 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2023 को ₹13,308.32 करोड़ हो गई।

XII.7.8 *निर्गम विभाग की देयताएं- जारी किए गए नोट*

निर्गम विभाग की देयताएं प्रचलन में मौजूद मुद्राओं की मात्रा को दर्शाती हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 34 (1) में यह अपेक्षा की गई है कि 1 अप्रैल 1935 से रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए सभी बैंक नोट और रिज़र्व बैंक के परिचालन शुरू होने से पहले भारत सरकार द्वारा जारी मुद्रा, निर्गम विभाग की देयताओं का हिस्सा होंगे। 31 मार्च 2022 को जारी किए गए नोट ₹31,05,720.56 करोड़ से 7.81 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2023 को ₹33,48,244.67

करोड़[2] हो गए। वर्ष के दौरान, ई-थोक (e₹- डब्ल्यू) और ई-खुदरा (e₹-आर) के रूप में डिजिटल रूप से बैंक नोट जारी किए गए। 31 मार्च 2023 तक संचलन ई-डब्ल्यू और ई-आर का मूल्य क्रमशः ₹10.69 करोड़ और ₹5.70 करोड़ था।

इससे पहले, 30 जून 2018 तक भुगतान नहीं किए गए विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) के मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाली ₹10,719.37 करोड़ की राशि 'अन्य देयताओं' में अंतरित कर दी गई थी। रिज़र्व बैंक ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान पात्र निविदाकर्ताओं को एसबीएन के विनिमय मूल्य के लिए ₹4.60 करोड़ तक भुगतान किया और इस मद के लिए किया गया संचयी भुगतान ₹30.20 करोड़ रहा।

सारणी XII.4: स्वर्ण की भौतिक धारिता

	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2023 तक
	मीट्रिक टन में मात्रा	मीट्रिक टन में मात्रा
1	2	3
जारी किए गए नोटों के समर्थन के रूप में रखा गया	295.82	301.09
स्वर्ण (भारत में रखा हुआ) बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में रखा गया स्वर्ण (स्वर्ण जमा सहित) (विदेश में रखा हुआ)	464.60	493.54
कुल	**760.42**	**794.63**

XII.8 रिज़र्व बैंक की आस्तियां

XII.8.1 बैंकिंग विभाग की आस्तियां

i) नोट, रुपया सिक्का, छोटा सिक्का

यह मद बैंक नोटों, एक रुपये के नोटों, ₹1, 2, 5, 10 और 20 के रुपये के सिक्कों और छोटे सिक्कों से संबंधित है जो रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित बैंकिं ग कार्यों की दिन-प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रखे जाते हैं। 31 मार्च 2023 को शेष राशि ₹9.50 करोड़ थी, जबकि 31 मार्च 2022 को यह ₹17.13 करोड़ थी।

ii) स्वर्ण-बैंकिंग विभाग (बीडी)

31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार रिज़र्व बैंक के पास कुल स्वर्ण 794.63 मीट्रिक टन रहा, जबकि 31 मार्च 2022 को यह 760.42 मीट्रिक टन था। यह वृद्धि वर्ष के दौरान 34.21 मीट्रिक टन के अतिरिक्त परिवर्धन के कारण हुई।

31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार 794.63 मीट्रिक टन में से 301.09 मीट्रिक टन स्वर्ण जारी नोटों के बदले में रखा गया है जबकि 31 मार्च 2022 को यह 295.82 मीट्रिक टन था और इसे निर्गम विभाग की आस्तियों के रूप में अलग से दर्शाया गया है। 31 मार्च 2022 को 464.60 मीट्रिक टन की तुलना में 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार शेष 493.54 मीट्रिक टन को बैंकिंग विभाग की आस्तियां माना जाता है (सारणी XII.4)।

बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में रखे गए स्वर्ण (स्वर्ण जमा सहित) का मूल्य 31 मार्च 2022 को ₹1,96,864.38 करोड़ से 17.20 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2023 को ₹2,30,733.95 करोड़ हो गया। यह वृद्धि 28.94 मीट्रिक टन स्वर्ण के परिवर्धन और स्वर्ण की कीमत में वृद्धि और अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये के अवमूल्यन के कारण भी हुई।

iii) क्रय और भुनाए गए बिल

यद्यपि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत रिज़र्व बैंक वाणिज्यिक बिलों को खरीद और भुना सकता है, लेकिन 2022-23 में ऐसी कोई गतिविधि नहीं की गई। नतीजतन, 31 मार्च 2023 तक रिज़र्व बैंक के बही-खातों में ऐसी कोई आस्ति नहीं थी।

[2] इसमें भौतिक और डिजिटल दोनों प्रकार के नोट शामिल हैं।

iv) निवेश-विदेशी-बैंकिंग विभाग (बीडी)

रिज़र्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए) में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) अन्य केंद्रीय बैंकों में जमाराशियां; (ii) अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) के पास जमाराशियां; (iii) विदेशों में वाणिज्यिक बैंकों में जमाराशियां; (iv) विदेशी टी-बिलों और प्रतिभूतियों में निवेश; (v) भारत सरकार (जीओआई) से प्राप्त विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर)।

एफसीए को तुलन पत्र में दो प्रमुखों मदों के तहत दर्शाया गया है: (ए) 'निवेश-विदेशी-बीडी' को बैंकिंग विभाग की आस्तियों के रूप में दिखाया गया है और (बी) 'निवेश-विदेशी-आईडी' को निर्गम विभाग की आस्तियों के रूप में दिखाया गया है।

'निवेश-विदेशी आईडी' एफसीए हैं, जो आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 33 (6) के अनुसार पात्र हैं, जिनका उपयोग जारी किए गए नोटों के समर्थन के लिए किया जाता है। एफसीए के शेष हिस्से में 'निवेश-विदेशी-बीडी' शामिल है।

पिछले दो वर्षों के लिए एफसीए की स्थिति सारणी XII.5 में दी गई है।

V) निवेश-घरेलू-बैंकिंग विभाग (बीडी)

निवेश में दिनांकित सरकारी रुपया प्रतिभूतियां, राज्य सरकार की प्रतिभूतियां और विशेष तेल बॉण्ड शामिल हैं। रिज़र्व बैंक की घरेलू प्रतिभूतियों की धारिता 31 मार्च 2022 को ₹14,88,815.96 करोड़ से 5.53 प्रतिशत घटकर 31 मार्च 2023 को ₹14,06,422.89 करोड़ हो

सारणी XII.5: विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए) का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च तक	
	2022	2023
1	2	3
I निवेश-विदेशी-बीडी*	11,41,127.75	10,08,993.26
II निवेश-विदेशी-आईडी	29,79,863.29	32,07,201.78
कुल	**41,20,991.04**	**42,16,195.04**

*: इसमें बीआईएस और विश्वव्यापी वित्तीय दूरसंचार सोसाइटी (स्विफ्ट) और भारत सरकार द्वारा हस्तांतरित एसडीआर के शेयर शामिल हैं, जिनका मूल्य 31 मार्च 2022 को ₹11,286.57 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2023 तक ₹12,096.82 करोड़ रुपये था।

टिप्पणी:

1. रिज़र्व बैंक आईएमएफ की उधार लेने की नई व्यवस्था (एनएबी) के तहत संसाधन उपलब्ध कराने पर सहमत हो गया है। 01 जनवरी 2021 से एनएबी के तहत भारत की प्रतिबद्धता एसडीआर 8.88 बिलियन (₹ 98,235.15 करोड़ / 11.95 बिलियन अमेरिकी डॉलर) है। 31 मार्च 2023 तक एनएबी के तहत 0.03 बिलियन एसडीआर (₹ 307.40 करोड़ / 0.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का निवेश किया गया है।
2. रिज़र्व बैंक, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड द्वारा जारी बॉण्ड में राशि के निवेश के लिए सहमत हो गया है, जिसका कुल योग 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹ 41,094.80 करोड़) से अधिक नहीं होगा। 31 मार्च 2023 तक, रिज़र्व बैंक ने ऐसे बॉण्ड में 1.16 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹ 9,558.65 करोड़) का निवेश किया है।
3. वर्ष 2013-14 के दौरान, रिज़र्व बैंक और भारत सरकार ने चरणबद्ध तरीके से एसडीआर धारिता को भारत सरकार से आरबीआई को हस्तांतरित करने के लिए एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 31 मार्च 2023 तक, एसडीआर 1.06 बिलियन (₹ 11,767.83 करोड़ / 1.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर) रिज़र्व बैंक के पास था।
4. क्षेत्रीय वित्तीय और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने की दृष्टि से, रिज़र्व बैंक सार्क सदस्य देशों को सार्क स्वैप व्यवस्था के तहत विदेशी मुद्रा और भारतीय रुपये दोनों में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि की पेशकश करने के लिए सहमत हो गया है। 31 मार्च 2023 तक, भूटान, मालदीव और श्रीलंका के साथ स्वैप, क्रमशः 0.20 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹ 1,626.71 करोड़), 0.10 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹ 821.90 करोड़) और 0.40 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹ 3,287.56 करोड़) बकाया है।
5. पुनर्खरीद और आईआरएफ लेनदेन में संपार्श्विक और मार्जिन के रूप में प्रेषित की गई विदेशी प्रतिभूतियों का नाममात्र मूल्य 31 मार्च 2023 तक ₹ 1,04,432.73 करोड़ / 12.71 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और रिवर्स पुनर्खरीद लेनदेन के तहत प्राप्त प्रतिभूतियों का नाममात्र मूल्य ₹ 1,15,230.75 करोड़ / 14.02 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
6. 31 मार्च 2023 को प्रतिभूति उधार व्यवस्था के तहत उधार दी गई विदेशी प्रतिभूतियों का नाममात्र मूल्य ₹75,898.27 करोड़ / 9.23 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

गई। मुख्य रूप से सरकारी प्रतिभूतियों की निवल बिक्री के माध्यम से चलनिधि प्रबंधन परिचालन कार्यों, पोर्टफोलियो में प्रतिभूतियों के मोचन और प्रतिफल वक्र में प्रतिफल वृद्धि के कारण गिरावट आई, जिससे मूल्य कम हो गया।

निवेश-घरेलू-बीडी का एक हिस्सा विभिन्न स्टाफ फंड, डीईए फंड और पीआईडीएफ के लिए भी निर्धारित किया गया जैसा कि पैरा 2.5 (डी) में बताया गया है। 31 मार्च 2023 तक उक्त फंड के लिए ₹1,01,046 करोड़ (अंकित मूल्य) निर्धारित किए गए।

vi) ऋण और अग्रिम

ए) *केंद्र और राज्य सरकारें*

ये ऋण भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(5) के तहत केंद्र सरकार को अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) और ओवरड्राफ्ट (ओडी) के रूप में और राज्य सरकारों को डब्ल्यूएमए, ओडी और विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) के रूप में दिए जाते हैं। केंद्र सरकार के मामले में डब्ल्यूएमए सीमा समय-समय पर भारत सरकार के परामर्श से निर्धारित की जाती है और राज्य सरकारों के मामले में इस प्रयोजनार्थ गठित सलाहकार समिति/समूह की सिफारिशों के आधार पर अलग-अलग राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए सीमा निर्धारित की जाती है। 31 मार्च 2023 तक केंद्र सरकार को ऋण और अग्रिम ₹48,677.00 करोड़ था, जबकि 31 मार्च 2022 को यह शून्य था। राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम 31 मार्च 2022 को ₹1,666.56 करोड़ से 52.49 प्रतिशत घटकर 31 मार्च 2023 को ₹791.72 करोड़ हो गया।

बी) *वाणिज्यिक, सहकारी बैंकों, नाबार्ड और अन्य को ऋण और अग्रिम*

- *वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम:* इनमें चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ), सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) और बैंकों को विशेष चलनिधि सुविधा के तहत रिपो के लिए बकाया राशि शामिल है। वर्ष के दौरान बैंकिंग प्रणाली में कम अधिशेष चलनिधि की वजह से एमएसएफ के तहत बैंकों द्वारा प्राप्त निधियों में वृद्धि के कारण बकाया राशि 31 मार्च 2022 के ₹94,365.75 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2023 को ₹1,12,731.34 करोड़ हो गई।

- *नाबार्ड को ऋण और अग्रिम:*

  रिज़र्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (4ई) के तहत नाबार्ड को ऋण दे सकता है। इस मद में शेष राशि 31 मार्च 2022 के 23,010.10 करोड़ रुपये से घटकर 31 मार्च 2023 को शून्य हो गई।

- *अन्य को ऋण और अग्रिम:*

  इस मद के तहत शेष राशि राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को ऋण और अग्रिम और प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) को प्रदान की गई चलनिधि सहायता से संबंधित है। इस मद में शेष राशि 31 मार्च 2022 तक के ₹14,506.94 करोड़ से 68.78 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2023 को ₹24,485.36 करोड़ हो गई, जिसका मुख्य कारण 31 मार्च 2023 को प्राथमिक व्यापरियों को प्रदान की गई चलनिधि सहायता में वृद्धि है।

सी) भारत के बाहर वित्तीय संस्थाओं को ऋण और अग्रिम

वर्ष के दौरान रिवर्स रिपो लेनदेन की मात्रा में वृद्धि के कारण इस मद के तहत शेष 31 मार्च

2022 के ₹75,243.50 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2023 को ₹1,02,128.11 करोड़ हो गया।

vii) सहायक कंपनियों/सहयोगियों में निवेश

31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार सहायक कंपनियों/सहयोगी संस्थाओं में निवेश की तुलनात्मक स्थिति सारणी XII.6 में दी गई है। 31 मार्च 2023 को कुल धारित राशि ₹2,063.60 करोड़ थी, जो 31 मार्च 2022 को भी थी।

viii) अन्य आस्तियां

'अन्य आस्तियों' में अचल आस्तियां (मूल्यह्रास का निवल), अर्जित आय, स्वैप परिशोधन खाता (एसएए), वायदा संविदा खाते का पुनर्मूल्यन (आरएफसीए) और विविध आस्तियां शामिल हैं। विविध आस्तियों में मुख्य रूप से कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम, लंबित परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि, भुगतान की गई सुरक्षा जमाराशि आदि शामिल हैं। 'अन्य आस्तियों' के तहत बकाया राशि 31 मार्च 2022 के ₹46,900.04 करोड़ से 26.81 प्रतिशत बढ़ कर 31 मार्च 2023 को ₹59,474.84 करोड़ हो गई।

a. *स्वैप परिशोधन खाता (एसएए)*

31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2022 को, एसएए में शेष राशि शून्य थी क्योंकि स्वैप की कोई बकाया संविदा नहीं थी जो बाजार से अलग रिपो दर पर हो।

बी. वायदा संविदा खाते का पुनर्मूल्यन (आरएफ़सीए)

आरएफसीए में शेष राशि 31 मार्च 2023 को ₹1,354.96 करोड़ थी, जो 31 मार्च 2022 को ₹2,576.90 करोड़ की तुलना में बकाया वायदा संविदा पर निवल बाज़ार मूल्य पर अंकित लाभ को दर्शाता है।

XII.8.2 निर्गम विभाग की आस्तियां

जारी किए गए नोटों को समर्थन प्रदान करने के लिए निर्गम विभाग द्वारा धारित पात्र आस्तियों में सोने के सिक्के, सोने के बुलियन, विदेशी प्रतिभूतियां, रुपया सिक्का, रुपया प्रतिभूतियां और देशी विनिमय बिल शामिल किए जाते हैं। रिज़र्व बैंक के पास 794.63 मीट्रिक टन स्वर्ण है जिसमें से 301.09 मीट्रिक टन 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार जारी किए गए नोटों के समर्थन के रूप में रखा गया है (सारणी XII.4)। निर्गम विभाग की आस्ति के रूप में धारित सोने का मूल्य 31 मार्च 2022 को ₹1,25,348.98 करोड़ से 12.30 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2023 को ₹1,40,765.60 करोड़ हो गया।

सारणी XII.6: सहायक कंपनियों/सहयोगियों में धारित राशि

(₹ करोड़ में)

	2021-22	2022-23	31 मार्च 2023 तक धारित राशि
1	2	3	4
ए) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)	50.00	50.00	100
बी) भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल)	1,800.00	1,800.00	100
सी) रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी (पी) लिमिटेड (आरईबीआईटी)	50.00	50.00	100
डी) राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफ़ई)	30.00	30.00	30
ई) भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाएं (आईएफटीएएस)	33.60	33.60	100
एफ़) रिज़र्व बैंक नवोन्मेष हब (आरबीआईएच)	100.00	100.00	100
कुल	**2,063.60**	**2,063.60**	

वर्ष के दौरान सोने के मूल्य में यह वृद्धि 5.27 मीट्रिक टन सोने की वृद्धि और साथ ही, सोने की कीमत में वृद्धि और अमरीकी डालर की तुलना में रुपये के अवमूल्यन के कारण भी हुई है।

निर्गमित नोटों में वृद्धि के परिणामस्वरूप, निवेश-विदेशी आईडी 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार ₹29,79,863.29 करोड़ थी, जो 7.63 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च, 2023 को ₹32,07,201.78 करोड़ हो गई।

निर्गम विभाग द्वारा धारित रुपया सिक्कों की शेष राशि 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार ₹508.29 करोड़ से 45.45 प्रतिशत घटकर 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार ₹277.29 करोड़ रह गई।

विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां

XII.9 विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों (एफईआर) में विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए), स्वर्ण (स्वर्ण जमा सहित), विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) धारिताएं एवं रिज़र्व ट्रान्च स्थिति (आरटीपी) शामिल हैं। भारत सरकार से प्राप्त एसडीआर धारिताएं रिज़र्व बैंक के तुलन-पत्र का हिस्सा होती हैं तथा इन्हें निवेश-विदेशी-बीडी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। भारत सरकार के पास एसडीआर धारिताएं तथा आरटीपी जो आईएमएफ में विदेशी मुद्रा में भारत के कोटा अंशदान का प्रतिनिधित्व करती है, बैंक के तुलन-पत्र का हिस्सा नहीं है। 31 मार्च, 2022 और 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार एफईआर की स्थिति भारतीय रुपए और अमेरिकी डॉलर, जो हमारे एफईआर के लिए मूल्यमान मुद्रा है, में सारणी XII.7 (ए) एवं (बी) में प्रस्तुत है।

सारणी XII.7(ए): विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां (रुपया)

(₹ करोड़ में)

घटक	स्थिति		घट-बढ़	
	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023	समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए)	40,94,564.98^	41,89,132.39#	94,567.41	2.31
स्वर्ण (जमा स्वर्ण सहित)	3,22,213.36@	3,71,499.55*	49,286.19	15.30
विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर)	1,43,051.88	1,51,164.10	8,112.22	5.67
आईएमएफ में रिज़र्व ट्रान्श की स्थिति (आरटीपी)	38,988.28	42,468.49	3,480.21	8.93
विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां (एफईआर)	**45,98,818.50**	**47,54,264.53**	**1,55,446.03**	**3.38**

^: निम्नलिखित को छोड़कर: (ए) रिज़र्व बैंक की एसडीआर धारिताएं जो ₹10,975 करोड़ के समतुल्य हैं, जिसे एसडीआर धारिताओं में शामिल किया गया है, और (बी) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी बॉण्डों में ₹10,904.23 करोड़ का निवेश और (सी) सार्क देशों के लिए उपलब्ध करायी गयी करेंसी स्वैप व्यवस्था के तहत ₹1,517.87 करोड़ भूटान को तथा श्रीलंका को ₹3,028.96 करोड़ का उधार।

#: निम्नलिखित को छोड़कर: (ए) रिज़र्व बैंक के पास उपलब्ध ₹11,767.83 करोड़ की एसडीआर की धारिताएं, जिसे एसडीआर धारिताओं में शामिल किया गया है, (बी) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी बॉण्डों में ₹9,558.65 करोड़ का निवेश, और (सी) सार्क देशों के लिए उपलब्ध कराएं गई करेंसी स्वैप व्यवस्था के तहत भूटान को दिए गए ₹1,626.71 करोड़ उधार, मालदीव को दिए गए ₹821.90 करोड़ उधार और श्रीलंका को ₹3287.56 करोड़ उधार।

@: इसमें से ₹1,25,348.98 करोड़ कीमत के स्वर्ण को निर्गम विभाग की आस्ति के रूप में और ₹1,96,864.38 करोड़ कीमत के स्वर्ण (जमा स्वर्ण सहित) को बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में रखा गया है।

*: इसमें से ₹1,40,765.60 करोड़ कीमत के स्वर्ण को निर्गम विभाग की आस्ति के रूप में और ₹2,30,733.95 करोड़ कीमत के स्वर्ण (जमा स्वर्ण सहित) को बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में रखा गया है।

सारणी XII.7(बी): विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां (यूएसडी)

(यूएस$ बिलियन)

घटक	स्थिति		घट-बढ़	
	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023	समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए)	540.72*	509.69**	-31.03	-5.74
स्वर्ण (जमा स्वर्ण सहित)	42.55	45.20	2.65	6.23
विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर)	18.89	18.39	-0.50	-2.65
आईएमएफ में रिज़र्व ट्रान्श की स्थिति (आरटीपी)	5.14	5.17	0.03	0.58
विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां (एफसीए)	**607.30**	**578.45**	**-28.85**	**-4.75**

*: निम्नलिखित को छोड़कर: (ए) रिज़र्व बैंक के पास की यूएस$1.45 बिलियन अमेरिकी डॉलर की एसडीआर की धारिताएं, जिसे एसडीआर धारिताओं में शामिल किया गया है (बी) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी बॉन्डों में यूएस$1.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश और (सी) सार्क देशों के लिए उपलब्ध कराएं गई करेंसी स्वैप व्यवस्था के तहत भूटान को भारतीय रुपये में दी गई बीटीएन करेंसी के समतुल्य यूएस$0.20 बिलियन अमेरिकी डॉलर उधार तथा श्रीलंका को भारतीय रुपये में दी गई करेंसी के समतुल्य यूएस$0.40 बिलियन अमेरिकी डॉलर उधार।

**: निम्नलिखित को छोड़कर (ए) रिज़र्व बैंक के पास की यूएस$1.43 बिलियन अमरेकी डॉलर की एसडीआर की धारिताएं, जिसे एसडीआर धारिताओं में शामिल किया गया है, (बी) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी बॉन्डों में यूएस$1.16 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश, और (सी) सार्क देशों के लिए उपलब्ध कराए गई करेंसी स्वैप व्यवस्था के तहत भूटान को यूएस$0.20 बिलियन अमेरिकी डॉलर उधार, मालदीव को भारतीय रुपये में दी गई बीटीएन करेंसी के समतुल्य यूएस$0.10 बिलियन अमेरिकी डॉलर उधार, और श्रीलंका को भारतीय रुपये में दी गई करेंसी के समतुल्य यूएस$0.40 बिलियन अमेरिकी डॉलर उधार।

आय और व्यय का विश्लेषण

आय

XII.10 'ब्याज' एवं 'अन्य आय', जिसमें (i) डिस्काउंट (ii) विनिमय (iii) कमीशन (iv) विदेशी और रुपया प्रतिभूतियों से मिलने वाले प्रीमियम/डिस्काउंट का परिशोधन (v) विदेशी और रुपया प्रतिभूतियों की बिक्री एवं मोचन से हुए लाभ/हानि (vi) रुपया प्रतिभूतियां अंतर पोर्टफोलियो हस्तांतरण पर मूल्यह्रास (vii) प्राप्त किराया (viii) रिज़र्व बैंक की संपत्ति की बिक्री से हुआ लाभ अथवा हानि एवं (ix) ऐसे प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं है और विविध आय शामिल हैं, रिज़र्व बैंक की आय के घटक हैं। आय के कतिपय मद, जैसे, एलएएफ रिपो से प्राप्त ब्याज, विदेशी प्रतिभूति में रिपो और विदेशी मुद्रा विनिमय लेनदेनों से हुए विनिमय लाभ/हानि निवल आधार पर रिपोर्ट किए जाते हैं।

विदेशी स्रोतों से आय

XII.11 विदेशी स्रोतों से होने वाली आय 2021-22 में ₹89,582.36 करोड़ से 69.82 प्रतिशत बढ़कर 2022-23 में ₹1,52,128.54 करोड़ हो गई। विदेशी मुद्रा आस्तियों से होने वाली आय की दर 2021-22 में 2.11 प्रतिशत की तुलना में 2022-23 में 3.73 प्रतिशत पर थी (सारणी XII.8)।

घरेलू स्रोतों से आय

XII.12 घरेलू स्रोतों से होने वाली निवल आय 2021-22 में ₹70,529.77 करोड़ से 18.15 प्रतिशत बढ़कर 2022-23 में ₹83,328.72 करोड़ हो गई, जिसका मुख्य कारण बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि अधिशेष के अवशोषण के कारण एलएएफ/एमएसएफ के तहत ब्याज पर निवल ब्याज बहिर्गमन में वृद्धि (सारणी XII.9)।

सारणी XII.8: विदेशी स्रोतों से आय

(₹ करोड़ में)

मद	2021-22	2022-23	**घट-बढ़**	
			समग्र	**प्रतिशत**
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए)	41,20,991.04	42,16,195.04	95,204.00	2.31
औसत एफसीए	42,42,514.17	40,81,053.94	-1,61,460.23	-3.81
एफसीए से अर्जन (ब्याज, डिस्काउंट, विनिमय लाभ/ हानि, प्रतिभूतियों पर पूंजीगत लाभ/ हानि)	89,582.36	1,52,128.54	62,546.18	69.82
औसत एफसीए के प्रतिशत के रूप में एफसीए से अर्जन	2.11	3.73	1.62	76.78

सारणी XII.9: घरेलू स्रोतों से आय

(₹ करोड़ में)

मद	2021-22	2022-23	घट-बढ़	
			समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
अर्जन (I+II+III+IV)	**70,529.77**	**83,328.72**	**12,798.95**	**18.15**
I. रुपये प्रतिभूतियों और बट्टा लिखतों से अर्जन				
i) रुपये प्रतिभूतियों की धारिता पर ब्याज (तेल बॉण्ड सहित)	96,396.42	96,516.05	119.63	0.12
ii) रुपये प्रतिभूतियों की बिक्री एवं मोचन पर लाभ/हानि	6,028.19	-222.86	-6,251.05	-103.70
iii) रुपये प्रतिभूतियों के अंतर पोर्टफोलियो अंतरण पर मूल्यह्रास	-20.07	-110.67	-90.60	451.42
iv) रुपये प्रतिभूतियों (तेल बॉण्ड सहित) पर प्रीमियम/ बट्टा का परिशोधन	-1,717.97	-2,264.19	-546.22	31.79
v) बट्टा	403.76	0.00	-403.76	-100.00
उप जोड़ (i+ii+iii+iv+v)	***1,01,090.33***	***93,918.33***	***-7,172.00***	***-7.09***
II. एलएएफ/ एमएसएफ/एसडीएफ पर ब्याज				
i) एलएएफ परिचालनों पर निवल ब्याज	-35,501.29	-9,068.41	26,432.88	74.46
ii) एसडीएफ पर निवल ब्याज	0.00	-7,444.71	-7,444.71	-100.00
iii) एमएसएफ परिचालनों पर ब्याज	37.63	361.02	323.39	859.39
उप जोड़ (i+ii+iii)	***-35,463.66***	***-16,152.10***	***19,311.56***	***-54.45***
III. अन्य ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज				
i) सरकार (केन्द्र और राज्य)	296.34	556.49	260.15	87.79
ii) बैंक और वित्तीय संस्थाएं	1,149.57	1,791.55	641.98	55.85
iii) कर्मचारी	55.91	63.94	8.03	14.36
उप जोड़ (i+ii+iii)	***1,501.82***	***2,411.98***	***910.16***	***60.60***
IV. अन्य अर्जन				
i) विनिमय	0.00	0.00	0.00	0.00
ii) कमीशन	3,058.09	3,469.14	411.05	13.44
iii) वसूला गया किराया, बैंक की संपत्ति की बिक्री पर लाभ या हानि, प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं है और विविध आय	343.19	-318.64	-661.83	-192.85
उप जोड़ (i+ii+iii)	***3,401.28***	***3,150.50***	***-250.78***	***-7.37***

XII.13 रुपया की *प्रतिभूतियों (तेल बॉण्ड सहित) की होल्डिंग पर ब्याज* 2021-22 में ₹96,396.42 करोड़ से मामूली रूप से बढ़कर 2022-23 में ₹96,516.05 करोड़ हो गया।

XII.14 *चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ)/सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ)/स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ)* परिचालन से निवल ब्याज आय पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में बैंकिंग प्रणाली में अधिशेष चलनिनिधि अवशोषण के कारण 2021-22 में ₹(-)35,463.66 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹(-)16,152.10 करोड़ हो गई।

XII.15 *रुपये की प्रतिभूतियों की बिक्री और मोचन पर लाभ* 2021-22 के ₹6,028.19 करोड़ से घटकर 2022-23 में ₹(-)222.86 करोड़ हो गया, जिसका मुख्य कारण चालू वर्ष में प्रतिफल वक्र में प्रतिफल में वृद्धि है, जिसके कारण प्रतिभूतियों की बिक्री/रूपांतरण पर कम प्राप्ति हुई। 2022-23 में, बिक्री परिचालन ₹35,030 करोड़ (अंकित मूल्य) था और भारतीय रिजर्व बैंक के पास भारत सरकार द्वारा धारित प्रतिभूतियों का कनवर्ज़न ₹22,610 करोड़ था।

XII.16 *रुपया प्रतिभूतियों (तेल बॉण्ड सहित) पर प्रीमियम/ डिस्काउंट का परिशोधन:* रिजर्व बैंक द्वारा धारित रुपया प्रतिभूतियों और तेल बॉण्डों पर प्रीमियम/*डिस्काउंट* अवशिष्ट परिपक्वता की अवधि के दौरान दैनिक आधार पर परिशोधन की जाती है। रुपया प्रतिभूतियों के परिशोधन पर प्रीमियम/*डिस्काउंट* से निवल आय 2021-22 में ₹ (-)1,717.97 करोड़ से घटकर *2022-23* में ₹(-)2,264.19 करोड़ हो गई।

XII.17 *घरेलू-बट्टा :* बट्टागत लिखतों (टी-बिल) की धारिता से होने वाली *आय 2021-22 में ₹403.76 करोड़ से घटकर 2022-23 में शून्य हो* गई।

XII.18 *ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज*

ए. *केंद्र सरकार और राज्य सरकार :*

केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को दिए गए ऋण और अग्रिमों पर ब्याज से प्राप्त होने वाली आय 2021-22 में ₹296.34 करोड़ से 87.79 प्रतिशत बढ़कर 2022-23 में ₹556.49 करोड़ रह गई। कुल में से, डब्ल्यूएमए/ओडी के कारण केंद्र सरकार से प्राप्त ब्याज आय 2021-22 में शून्य से बढ़कर 2022-23 में ₹32.52 करोड़ हो गई। डब्ल्यूएमए/ओडी/विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) के कारण राज्य सरकारों से प्राप्त ब्याज आय 2021-22 में ₹296.34 करोड़ से 76.81 प्रतिशत बढ़कर 2022-23 में ₹523.97 करोड़ हो गई । ब्याज आय में वृद्धि i) केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा रिज़र्व बैंक से निधियों का अधिक लाभ उठाने और ii) रिज़र्व बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि के कारण लागू ब्याज दर में वृद्धि के कारण हुई थी।

बी. *बैंक और वित्तीय संस्थाएं :* विशेष तरलता सुविधा के तहत वित्तीय संस्थानों द्वारा धन के अधिक लाभ और रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि के कारण बैंकों और वित्तीय संस्थानों को दिए गए ऋण और अग्रिम पर ब्याज 2021-22 में ₹1,149.57 करोड़ से 55.85 प्रतिशत बढ़कर 2022-23 में ₹1,791.55 करोड़ हो गया।

सी. *कर्मचारी* :

कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम पर ब्याज 2021-22 में ₹55.91 करोड़ रुपये से 14.36 प्रतिशत बढ़कर 2022-23 में ₹63.94 करोड़ हो गया।

XII.19 *कमीशन :* कमीशन आय 2021-22 में ₹3,058.09 करोड़ से 13.44 प्रतिशत बढ़कर 2022-23 में ₹3,469.14 करोड़ रह गई, यह मुख्य रूप से ए) बचत बॉण्ड, सरकारी प्रतिभूतियों, टी-बिलों सहित केंद्र और राज्य सरकारों के बकाया ऋणों की चुकौती के प्रबंधन के लिए प्राप्त कमीशन में वृद्धि और बी) वर्ष के दौरान जारी किए गए ऋणों के लिए केंद्र और राज्य से वसूली गई फ्लोटेशन चार्ज में वृद्धि से हुई।

XII.20 *प्राप्त किराया, बैंक की संपत्ति की बिक्री से होने वाला लाभ या हानि, प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं है और विविध आय :* आय की उपर्युक्त मदों से अर्जन 2021-22 में ₹343.19 करोड़ से घटकर 2022-23 में ₹(-)318.64 करोड़ रह गया।

व्यय

XII.21 रिज़र्व बैंक अपने सांविधिक कार्यों को निष्पादित करने के क्रम में एजेंसी प्रभारों/कमीशन, नोटों की छपाई, मुद्रा के विप्रेषण पर व्यय के अलावा कर्मचारियों से संबंधित और अन्य व्ययों के माध्यम से व्यय करता है। रिज़र्व बैंक का कुल व्यय 2021-22 के ₹1,29,800.68 करोड़ से 14.05 प्रतिशत बढ़कर 2022-23 में ₹1,48,037.04 करोड़ हो गया (सारणी XII.10)।

सारणी XII.10: व्यय

(₹ करोड़ में)

मद		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1		2	3	4	5	6
i.	ब्याज	1.16	1.34	1.10	1.77	1.92
ii.	कर्मचारी लागत	6,851.07	8,928.06	4,788.03	3,869.43	6,003.93
iii.	एजेंसी प्रभार/ कमीशन	3,910.21	3,876.08	3,280.06	4,400.62	4,068.62
iv.	नोटों का मुद्रण	4,810.67	4,377.84	4,012.09	4,984.80	4,682.80
v.	प्रावधान	63.60	73,615.00	20,710.12	1,14,667.01	1,30,875.75
vi.	अन्य	1,407.44	1,742.61	1,355.35	1,877.05	2,404.02
कुल (i+ii+iii+iv+v+vi)		**17,044.15**	**92,540.93**	**34,146.75**	**1,29,800.68**	**1,48,037.04**

i) ***ब्याज***

वर्ष 2022-23 के दौरान, ब्याज के रूप में ₹1.92 करोड़ की राशि का भुगतान डॉ. बी.आर. अंबेडकर निधि (जिसकी स्थापना स्टाफ के संतानों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए की गई है) एवं कर्मचारी परोपकारी निधि को किया गया, जबकि 2021-22 में यह राशि ₹1.77 करोड़ थी। ।

ii) ***कर्मचारी लागत***

कुल कर्मचारी लागत 2021-22 के ₹3,869.43 करोड़ से 55.16 प्रतिशत बढ़कर 2022-23 में₹6,003.93 करोड़ हो गई। यह बढ़ोतरी 2022-23 में विभिन्न अधिवर्षिता निधियों की संचित देयताओं के लिए रिज़र्व बैंक के व्यय में बढ़ोतरी की वजह से थी।

iii) ***एजेंसी प्रभार/कमीशन***

ए. सरकारी लेनदेनों पर एजेंसी कमीशन

रिज़र्व बैंक, एजेंसी बैंक शाखाओं के बहुत बड़े नेटवर्क के माध्यम से सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। ये शाखाएं सरकारी लेनदेनों के लिए खुदरा आउटलेट के रूप में कार्य करती हैं। रिज़र्व बैंक इन एजेंसी बैंकों को निर्धारित दरों पर कमीशन अदा करता है। सरकारी कारोबार के लिए अदा किया गया एजेंसी कमीशन 2021-22 के ₹3,858.95 करोड़ से मामूली रूप से 0.37 प्रतिशत बढ़कर 2022-23 में ₹3,873.06 करोड़ हो गया ।

बी. प्राथमिक व्यापारियों को अदा किया गया हामीदारी कमीशन

प्राथमिक व्यापारियों को भुगतान किए गए हामीदरी कमीशन के कारण व्यय 2021-22 के ₹486.95 करोड़ से घटकर 2022-23 में ₹107.47 करोड़ हो गया। महामारी के बाद की वापसी और पीडी द्वारा हस्तांतरण की कम उम्मीद ने चालू वर्ष में हामीदरी कमीशन को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

सी. विविध खर्च

इस व्यय में हैंडलिंग प्रभार, राहत/बचत बॉण्ड अभिदान के लिए बैंकों को प्रदत्त टर्नओवर कमीशन तथा प्रतिभूति उधार एवं उधार प्रबंध (एसबीएलए) पर भुगतान किया गया कमीशन इत्यादि शामिल है। इस शीर्ष के अंतर्गत प्रदत्त कमीशन 2021-22 में ₹12.29 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹20.98 करोड़ हो गया।

डी. बाह्य आस्ति प्रबंधकों, अभिरक्षकों, दलालों आदि को अदा किया गया शुल्क

इस मद में व्यय 2021-22 में ₹42.43 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹67.11 करोड़ हो गया।

iv) ***नोट मुद्रण***

वर्ष 2022-23 के दौरान आपूर्ति किए गए नोटों की संख्या 2,26,002 लाख थी जो कि वर्ष 2021-22 (2,22,505 लाख नोट) की तुलना में 1.57 प्रतिशत अधिक है। बैंक नोटों के मुद्रण पर किया गया व्यय वर्ष 2021-22 में ₹4,984.80 करोड़ से घटकर वर्ष 2022-23 में ₹4,682.80 करोड़ रह गया।

v) ***प्रावधान***

ईसीएफ के लिए आकस्मिक जोखिम बफर (सीआरबी) तुलन पत्र के 5.50 से 6.50 प्रतिशत तक की सीमा में बनाए रखा जाना है। केंद्रीय बोर्ड ने सीआरबी को वर्ष 2022-23 के लिए रिज़र्व बैंक की बैलेंस शीट के आकार के 6.00 प्रतिशत पर बनाए रखने के लिए अनुमोदन दिया। तदनुसार, ₹1,30,875.75 करोड़ का प्रावधान किया गया और वर्ष के दौरान इसे सीएफ में अंतरित किया गया (सारणी XII.2)।

vi) ***अन्य***

अन्य व्यय में मुद्रा के प्रेषण, मुद्रण और स्टेशनरी, ऑडिट शुल्क और संबंधित खर्च, विविध व्यय*आदि* शामिल हैं, जो 2021-22 में ₹1,877.05 करोड़ से 28.07 प्रतिशत बढ़कर 2022-23 में ₹2,404.02 करोड़ रह गया।

आकस्मिक देयताएं

XII.22 रिज़र्व बैंक की कुल आकस्मिक देयताएं ₹1,00574 करोड़ रुपए थीं। अंतरराष्ट्रीय निपटानों (बीआईएस) के लिए बैंक के अंशतः चुकता शेयर, जिन्हें एसडीआर में मूल्यवर्गित किया गया है, रिज़र्व बैंक की आकस्मिक देयताओं का मुख्य हिस्सा हैं। बीआईएस के आंशिक रूप से प्रदत्त शेयरों के संबंध में अनाहूत देयता (अनकॉल्ड लायबिलिटी) 31 मार्च 2023 को ₹986.92 करोड़ थी। शेष देयताएं, बीआईएस के निदेशक मंडल के निर्णय के अनुसार, तीन माह की सूचना पर मांगी जाती हैं।

पूर्व अवधि के लेन-देन

XII.23 प्रकटीकरण के प्रयोजन से केवल ₹1 लाख और उससे अधिक राशि वाले पूर्व अवधि के लेनदेनों पर विचार किया गया है। व्यय और आय के अंतर्गत पूर्व अवधि के लेनदेन क्रमशः ₹0.60 करोड़ और ₹28.38 करोड़ थे।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों को भुगतान

XII.24 निम्नलिखित तालिका सूक्ष्म और लघु उद्यमों को मूल धन या उस पर देय ब्याज के विलंबित भुगतान के मामलों को प्रस्तुत करती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण		2021-22		2022-23	
		मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज
1		2	3	4	5
i.	मूल राशि और उस पर देय ब्याज 31 मार्च, 2023 तक किसी भी आपूर्तिकर्ता को अवैतनिक है;	-	-	-	-
ii.	लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन से परे आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ धारा 16 के संदर्भ में खरीदार द्वारा भुगतान किए गए ब्याज की राशि;	0.04	0.001	-	-
iii.	भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जिसका भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन से परे) लेकिन अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना;	-	-	-	-
iv.	लेखांकन वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज की राशि और अदत्त शेष;	-	-	-	-
v.	आगे देय और देय ब्याज की राशि, जो आने वाले वर्षों में भी देय और भुगतेय है, ऐसी तारीख तक जब ऊपर दिए गए ब्याज देय राशि का भुगतान वास्तव में छोटे उद्यम को धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य से किया जाता है, ।	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.

ला.न.: लागू नहीं

पिछले वर्ष के आंकड़े

XII.25 पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां आवश्यक हो, पुनः व्यवस्थित किया गया है ताकि मौजूदा वर्ष के साथ उनकी तुलना की जा सके।

लेखापरीक्षक

XII.26 बैंक के सांविधिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 50 के अनुसरण में केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। वर्ष 2022-23 के लिए रिज़र्व बैंक की लेखा-बहियों की लेखापरीक्षा मेसर्स चंदाभॉय एंड जसूभॉय, मुंबई और मेसर्स फोर्ड रोड्स पार्क्स एंड कंपनी एलएलपी, मुंबई द्वारा सांविधिक केंद्रीय लेखा-परीक्षकों के रूप में और मेसर्स एस. घोष एंड कंपनी कोलकाता, मैसर्स एन.सी. राजगोपाल एंड कंपनी चेन्नई और मेसर्स जे. सी. भल्ला एंड कंपनी, नई दिल्ली द्वारा सांविधिक शाखा लेखा-परीक्षकों के रूप में की गई।